



मामला एडी (ओआई) - 44/2025

भारत सरकार
वाणिज्य विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
व्यापार उपचार महानिदेशालय

अंतिम निष्कर्ष

पॉलिएस्टर या नायलॉन के 80% या अधिक से निर्मित बेल्टिंग फैब्रिक के चीन जन. गण. से आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच।



बेल्टिंग फैब्रिक की सचित्र प्रस्तुति

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ**फा. सं. 6/49/2025-डीजीटीआर****भारत सरकार****वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय****वाणिज्य विभाग****व्यापार उपचार महानिदेशालय****चौथी मंजिल, जीवन तारा भवन, 5, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली - 110001****दिनांक: 25.09.2026****अंतिम निष्कर्ष****मामला एडी (ओआई) - 44/2025**

विषय: पॉलिएस्टर या नायलॉन के 80% या अधिक से निर्मित बेल्टिंग फैब्रिक के चीन जन. गण. से आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच।

क मामले की पृष्ठभूमि

1. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, यथासमय संशोधित (जिसे इसमें आगे "अधिनियम" कहा गया है) तथा उसके अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ (पाटन की गई वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995, यथासमय संशोधित (जिसे इसमें आगे "पाटनरोधी नियम" या "नियम" कहा गया है) को दृष्टिगत रखते हुए, एसआरएफ लिमिटेड (जिसे इसमें आगे "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने "पॉलिएस्टर या नायलॉन के 80% या अधिक से निर्मित बेल्टिंग फैब्रिक" (जिसे इसमें आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध वस्तु" कहा गया है) के चीन जन. गण. (जिसे इसमें आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) से आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच के आरंभ के लिए अभिहित प्राधिकारी (जिसे इसमें आगे "प्राधिकरण" कहा गया है) के समक्ष एक सम्यक रूप से प्रमाणित आवेदन प्रस्तुत किया है।
2. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम-दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, प्राधिकरण ने अधिसूचना सं. 6/49/2025-डीजीटीआर, दिनांक 27 सितंबर 2025 के माध्यम से एक लोक सूचना जारी की, जो भारत के राजपत्र - असाधारण में प्रकाशित हुई, तथा अधिनियम की धारा 9A को नियम 5 के साथ पठित करते हुए संबद्ध जांच आरंभ की, ताकि संबद्ध देश में उद्भूत या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु की अभिकथित पाटन के अस्तित्व, सीमा एवं प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की वह राशि संस्तुत की जा सके, जो, यदि

आरोपित की जाए, तो घरेलू उद्योग को हुई अभिकथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त हो।

ख प्रक्रिया

3. वर्तमान जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

3.1 प्रारंभ।

- i. नियम 5(5) के अनुसार, प्राधिकारी ने जांच शुरू करने की कार्यवाही से पहले संबद्ध देश के भारत में स्थित दूतावास को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन प्राप्त होने के बारे में सूचित किया।
- ii. आवेदन की जांच पर, प्राधिकारी ने पाटन एवं उसके परिणामस्वरूप क्षति के प्रथम-दृष्टया साक्ष्य पाए। अतः, नियम 5 और 6 के अनुसार, फा. सं. 6/49/2025-डीजीटीआर, दिनांक 27 सितंबर 2025 के माध्यम से, प्राधिकारी ने वर्तमान कार्यवाही प्रारंभ की।
- iii. वर्तमान जांच के लिए जांच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 माह) है। क्षति विश्लेषण अवधि में 2021-22, 2022-23, 2023-24 और जांच अवधि सम्मिलित हैं।
- iv. क्षति अवधि के लिए विचाराधीन उत्पाद के लेनदेन-वार आयात आंकड़ों हेतु प्राधिकारी ने प्रणाली एवं आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय ("डीजी सिस्टम्स") को अनुरोध किया। प्राधिकारी को आंकड़े प्राप्त हुए और लेनदेनों की यथोचित जांच के पश्चात आवश्यक विश्लेषण के लिए इन आंकड़ों पर भरोसा किया गया है।

3.2 आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण का प्रसार

- v. नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने जांच के प्रारंभ के बारे में हितबद्ध पक्षों को सूचित किया, जिसके अंतर्गत प्रारंभ अधिसूचना की एक प्रति संबद्ध देश के भारत में स्थित दूतावास, संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों को, आवेदन में उपलब्ध सूचना के अनुसार साझा की गई।
- vi. नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण की एक प्रति संबद्ध देश की सरकार को उनके भारत में स्थित दूतावास के माध्यम से, संबद्ध आयातों के ज्ञात निर्यातकों को और अन्य हितबद्ध पक्षों को, जिन्होंने आवेदन की प्रति लिखित में मांगी, उपलब्ध कराई।
- vii. प्राधिकारी ने संबद्ध देश की सरकार को उनके भारत में स्थित दूतावास के माध्यम से प्रश्नावली भेजी। संबद्ध देश की सरकार से अनुरोध किया गया कि वे प्रारंभ

अधिसूचना और प्रश्नावलियों को अपने देश में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों को अग्रेषित करें और उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने हेतु सलाह दें।

3.3 संबद्ध देश के निर्यातकों और भारत के आयातकों/उपयोगकर्ताओं की सहभागिता।

viii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगते हुए संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

क्र. सं.	संबद्ध देश में उत्पादकों/निर्यातकों के नाम
1	फेंगचेंग तैशान प्लास्टिक-कोटेड कैनवास कंपनी लिमिटेड
2	हेबेई लानयू रबर एण्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड
3	हेंगशुई जिंताइयांग कंवेयिंग मशीनरी एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड
4	जियांगसू ताइजी इंडस्ट्री न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
5	जियारुनलियांग इंडस्ट्रियल बेल्ट कंपनी लिमिटेड
6	ओरिएंटल इंडस्ट्रीज (सुझौ) लिमिटेड
7	ओरिएंटल टेक्सटाइल (होलडिंग) लिमिटेड
8	शेंडोंग हेलोन पॉलीटेक्स केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड
9	वुहू एस.एच.जेड. इंडस्ट्रियल फैब्रिक कंपनी लिमिटेड
10	झांगजियागांग सिटी ईस्टओशन टेक्निकल फैब्रिक कंपनी लिमिटेड
11	झेजियांग होंगबांग इंडस्ट्री लिमिटेड
12	झेजियांग यूनीफॉल हाई-टेक इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
13	झेजियांग यूनीफुल इंडस्ट्रियल फैब्रिक कंपनी लिमिटेड

ix. वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षों के रूप में निम्नलिखित चीन के उत्पादकों और निर्यातकों ने अपना पंजीकरण कराया है:

क्र. सं.	संबद्ध देश में उत्पादकों/निर्यातकों के नाम
1	जियांगसू जियाहेंग फाइबर कंपनी लिमिटेड
2	जियांगसू ताइजी इंडस्ट्री न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
3	ओरिएंटल इंडस्ट्रीज (सुझौ) लिमिटेड
4	किंगदाओ चेनलैनक्सिन बिज़नेस एण्ड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
5	किंगझाउ शेंगबो न्यू प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड
6	वुहू एस.एच.जेड. इंडस्ट्रियल फैब्रिक कंपनी लिमिटेड

7	वूक्सी पॉलीमिको मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
8	शुयी हुआचेंग इंडस्ट्रियल क्लॉथ कंपनी लिमिटेड
9	झेजियांग यूनीफॉल हाई-टेक इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड

- x. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगते हुए, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

क्र. सं.	इच्छुक पक्षकार का नाम
1	एआरबी कन्वेयर्स
2	अरविंद लिमिटेड
3	फिलाटेक एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
4	मदुरा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स लिमिटेड
5	मार्क इंडस्ट्रीज
6	ऑक्सफोर्ड रबर्स प्राइवेट लिमिटेड
7	रचना टेक्सटाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
8	सैनरिया टेक्निकल टेक्सटाइल्स लिमिटेड

- xi. संबद्ध जाँच की शुरुआत के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित आयातकों/उपयोगकर्ताओं ने जाँच में इच्छुक पक्षकारों के रूप में अपना पंजीकरण कराया है:

क्र. सं.	इच्छुक पक्षकार का नाम
1	एआरबी कन्वेयर्स लिमिटेड
2	बोस्टन रबर्स
3	डायनेमिक रबर्स प्राइवेट लिमिटेड
4	हिन्दुस्तान रबर एंड जनरल इंडस्ट्रीज
5	इनोवेटिव टायर्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड
6	नीलकंठ बेल्टिंग्स
7	पेंटागन रबर लिमिटेड
8	स्टार पॉलिमर्स इंक.

- xii. उपर्युक्त के अतिरिक्त, दो संघों, अर्थात् ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और चीन चैंबर ऑफ कॉमर्स फॉर इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स ने वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्ष के रूप में अपना पंजीकरण कराया है।
- xiii. प्राधिकारी ने सार्वजनिक हित और अर्थव्यवस्था के व्यापक क्षेत्र पर शुल्कों के प्रभाव का आकलन करने हेतु एक आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। ईआईक्यू की एक प्रति संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और उपयोगकर्ताओं और आवेदक को भेजी गई। ईआईक्यू को प्रशासनिक संबद्ध मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया। आर्थिक हित प्रश्नावली पर निम्नलिखित द्वारा प्रतिक्रिया दर्ज की गई:

क्र. सं.	हितबद्ध पक्ष का नाम
1	एसआरएफ लिमिटेड
2	किंगदाओ चेनलैनक्सिन बिज़नेस एण्ड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
3	वूक्सी पॉलीमिको मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
4	शुयी हुआचेंग इंडस्ट्रियल क्लॉथ कंपनी
5	ओरिएंटल इंडस्ट्रीज (सुझौ) लिमिटेड ("ओटिज़")
6	ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

- xiv. निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीकृत सभी हितबद्ध पक्षों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षों को निर्देश दिया गया कि वे वर्तमान कार्यवाही में अपनी सभी प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण का प्रसार सभी अन्य हितबद्ध पक्षों के साथ करें।

3.4 आगे प्रक्रियाएं

- xv. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 16 जनवरी 2026 को संकर (हाइब्रिड) माध्यम से आयोजित एक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने हेतु हितबद्ध पक्षों को अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षों को मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित प्रस्तुतिकरण, इसके पश्चात पुनर्कथन (रिजॉइंडर) प्रस्तुतिकरण करने का निर्देश दिया गया।
- xvi. नियम 6(8) के अनुसार, जहां भी किसी हितबद्ध पक्ष ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार किया अथवा अन्यथा समय पर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई, अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डाली, वहां प्राधिकारी

- ने ऐसे पक्षों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज किए हैं।
- xvii. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जांच प्राधिकारी द्वारा दावित गोपनीयता की पर्याप्तता के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता दावों को यथोचित स्थानों पर स्वीकार कर लिया है, और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों को गोपनीय आधार पर दाखिल सूचना का एक गैर-गोपनीय सार उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।
- xviii. नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का, वर्तमान कार्यवाही के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक, सत्यापन किया। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में हितबद्ध पक्षों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।
- xix. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद का अक्षतिकारी मूल्य (एनआईपी) इस आशय का निर्धारण किया कि क्या पाटन मार्जिन से कम शुल्क आवेदक को हो रही क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होंगे। एनआईपी का निर्धारण उत्पादन की इष्टतम लागत और भारत में घरेलू समान वस्तु के उत्पादन एवं विक्रय की लागत के आधार पर, आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
- xx. वर्तमान पाटनरोधी जाँच से संबंधित मामले में विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटीकरण करते हुए, पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा दिनांक 15.09.2026 को प्रकटीकरण विवरण जारी किया गया था। प्रकटीकरण विवरण पर इच्छुक पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों पर, जहाँ तक वे प्रासंगिक और पुनरावृत्तिपूर्ण नहीं पाई गई, इन अंतिम जाँच परिणामों में विचार किया गया है।
- xxi. प्राधिकारी ने कार्यवाही के दौरान इच्छुक पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, उपलब्ध कराई गई सूचना तथा किए गए अभ्यावेदनों की, जहाँ तक वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित थे और वर्तमान प्रयोजन के लिए प्रासंगिक पाए गए, जाँच की है और अंतिम जाँच परिणाम तैयार करते समय उन पर विचार किया है।
- xxii. ‘***’ से ऐसी सूचना अभिप्रेत है जो किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई है और जिसे प्राधिकारी द्वारा नियमावली के अंतर्गत गोपनीय माना गया है।
- xxiii. संबद्ध जाँच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹85.43 है। यह विनिमय दर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अंतर्गत

आयातित माल के मूल्य के रूपांतरण हेतु केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित तथा जाँच अवधि के दौरान प्रभावी विनिमय दरों का औसत है। इन अंतिम जाँच परिणामों में सर्वत्र इसी विनिमय दर का प्रयोग किया गया है। स्रोत: <https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate>

ग विचाराधीन उत्पाद

4. प्रारंभ के चरण में, विचाराधीन उत्पाद को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था:
 - "3. विचाराधीन उत्पाद चेफर फैब्रिक को छोड़कर, पॉलिएस्टर या नायलॉन के 80% या अधिक से किसी भी संयोजन में निर्मित बेल्टिंग फैब्रिक है।
 4. इसे रबराइज्ड टेक्सटाइल फैब्रिक (आरटीएफ) या कन्वेयर बेल्ट फैब्रिक (सीबीएफ) के रूप में भी जाना जाता है। बेल्टिंग फैब्रिक पॉलिएस्टर यार्न, नायलॉन यार्न, कॉटन, पॉलीप्रॉपिलीन आदि जैसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनाए जा सकते हैं। विचाराधीन उत्पाद की परिधि में वे बेल्टिंग फैब्रिक सम्मिलित हैं जिनमें पॉलिएस्टर या नायलॉन में से कोई भी 80% या अधिक मात्रा में (किसी भी संयोजन में) हो।
 5. संबद्ध वस्तुओं का कोई समर्पित कोड नहीं है और ये सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अध्याय 59 के उप-शीर्षक 5906 99 90 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं।"

ग.1 हितबद्ध पक्षों द्वारा की गई प्रस्तुतियां।

5. अन्य हितबद्ध पक्षों ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियां की हैं:
 - i. बेल्टिंग फैब्रिक अत्यधिक अनुकूलित तकनीकी वस्त्र है और यह एक समरूप उत्पाद नहीं है। बुनाई, रेटिंग, चौड़ाई, जीएसएम, लंबाई तथा अंतिम उपयोग के आधार पर इसकी 2,000 से अधिक किस्में उपलब्ध हैं।
 - ii. प्राधिकारी यह स्पष्ट कर सकता है कि क्या नायलॉन 6,6 का उपयोग करके निर्मित बेल्टिंग फैब्रिक को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।
 - iii. विचाराधीन उत्पाद का दायरा 100% पॉलिएस्टर से बने केवल EE प्रकार के बेल्टिंग फैब्रिक तक सीमित किया जाना चाहिए, क्योंकि अन्य प्रकार के बेल्टिंग फैब्रिक न तो आयात किए जाते हैं और न ही घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जाते हैं।
 - iv. उत्पाद के दायरे में संशोधन कर ग्रे फैब्रिक/अनडिप्ड फैब्रिक तथा ताना और बाना यार्न के 19 विशिष्ट संयोजनों को बाहर रखा गया था, जिनमें नायलॉन 6,6 से बने संयोजन भी शामिल हैं।

- v. घरेलू उद्योग 225 सेमी से अधिक चौड़ाई वाले फैब्रिक का न तो उत्पादन करता है और न ही बिक्री करता है।
- vi. घरेलू उद्योग के पास 1,000 मीटर से अधिक लंबाई वाले उत्पादों की आपूर्ति करने की क्षमता नहीं है।
- vii. घरेलू उद्योग के पास भारी रेटिंग वाले, अर्थात् 350 से अधिक रेटिंग के EE फैब्रिक में 520 मीटर से अधिक लंबाई के रोल बनाने की क्षमता नहीं है।
- viii. घरेलू उद्योग केवल सिंगल-डिप फैब्रिक का उत्पादन करता है, जिसमें डिप पिक-अप 5% से अधिक होता है।
- ix. घरेलू उद्योग ने अपने उत्पाद ब्रोशर में स्वीकार किया है कि वह 2 मीट्रिक टन से अधिक रोल-वजन वाले फैब्रिक रोल का उत्पादन नहीं कर सकता।
- x. हिन्दुस्तान रबर एंड जनरल इंडस्ट्रीज, जालंधर ने प्रदर्शन संबंधी समस्याओं के कारण घरेलू उद्योग के फैब्रिक को अस्वीकार किए जाने की सूचना दी है।
- xi. आवेदक द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया फैब्रिक अंतिम उत्पाद के विनिर्माण में उपयोग के लिए अनुपयुक्त तथा अलाभकारी पाया गया है।
- xii. घरेलू उद्योग का यह दावा कि कन्वेयर बेल्ट तीन वर्ष तक चलते हैं, उद्योग की प्रचलित व्यवहार-पद्धति से समर्थित नहीं है।
- xiii. घरेलू उद्योग EE फैब्रिक का विनिर्माण करता है। वह इस उत्पाद का निर्माण (i) सिंगल-स्टेप डिपिंग प्रक्रिया तथा (ii) ट्विस्टिंग प्रक्रिया का उपयोग करके करता है। जियाहेंग EE फैब्रिक के निर्माण के लिए टू-बाथ डिपिंग प्रक्रिया अपनाता है।
- xiv. प्राधिकारी EEE, EEH, EHH, EES, NN तथा NES को दायरे से बाहर रखने पर विचार कर सकता है, क्योंकि इनका या तो आयात नहीं किया जा रहा है, या इनका आयात नगण्य मात्रा में हो रहा है, अथवा घरेलू उद्योग द्वारा इनका वाणिज्यिक उत्पादन नहीं किया जा रहा है।
- xv. EEN, जियाहेंग द्वारा विकसित एक नया फैब्रिक प्रकार है और इसका घरेलू उद्योग द्वारा न तो उत्पादन किया जाता है और न ही बिक्री की जाती है।
- xvi. प्राधिकारी 125 सेमी से अधिक चौड़ाई वाले फैब्रिक को दायरे से बाहर रखने पर विचार कर सकता है, क्योंकि इनका आयात केवल अत्यंत नगण्य मात्रा में किया जाता है।
- xvii. आवेदक कुछ ग्राहकों को बेल्टिंग फैब्रिक अत्यधिक ऊंचे मूल्यों पर बेचता है, जबकि समान अथवा तुलनीय फैब्रिक अन्य खरीदारों को काफी कम मूल्यों पर उपलब्ध कराता है।
- xviii. कन्वेयर बेल्ट निर्माता, विशेषकर सरकारी तथा बड़ी कॉर्पोरेट संस्थाओं के ऑर्डरों के लिए, रिवर्स ऑक्शन और क्लोज्ड टेंडर के माध्यम से तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करते

हैं। फलस्वरूप, टेंडर खोने के जोखिम के कारण उनकी कीमतें बढ़ाने की क्षमता सीमित रहती है।

- xix. निर्दिष्ट प्रकार के फैब्रिक के भीतर मूल्य-तुलनीयता को प्रभावित करने वाले अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं—(क) चौड़ाई, (ख) लंबाई, (ग) रेटिंग तथा (घ) बुनाई। पीसीएन निर्धारित करते समय इन कारकों को शामिल किया जाना चाहिए।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियां

6. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

- i. विचाराधीन उत्पाद 80% या उससे अधिक पॉलिएस्टर अथवा नायलॉन, किसी भी संयोजन में, से बना बेल्टिंग फैब्रिक है, जिसमें चेफर फैब्रिक शामिल नहीं है। बेल्टिंग फैब्रिक को रबराइज्ड टेक्सटाइल फैब्रिक (आरटीएफ) अथवा कन्वेयर बेल्ट फैब्रिक (सीबीएफ) के नाम से भी जाना जाता है।
- ii. विचाराधीन उत्पाद भारी उपयोग के लिए उपयुक्त है, जहाँ अधिक मजबूती तथा गतिशील तनाव को सहने की क्षमता आवश्यक होती है। इस फैब्रिक का सबसे सामान्य उपयोग कन्वेयर बेल्ट के निर्माण में होता है।
- iii. विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई पृथक समर्पित सीमा शुल्क कोड नहीं है और इसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 59 के उपशीर्षक 5906 99 90 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
- iv. घरेलू उद्योग 225 सेमी से अधिक चौड़ाई, 700 मीटर से अधिक लंबाई तथा 350 से अधिक रेटिंग वाले उत्पादों का उत्पादन और बिक्री करता है।
- v. घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में EE ग्रेड की पर्याप्त मात्रा में बिक्री की है और इसके समर्थन में नमूना चालानों की प्रतियाँ उपलब्ध कराई हैं।
- vi. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत माप की इकाई मीट्रिक टन (एमटी) निर्धारित है। तथापि, उत्पाद का व्यापार विभिन्न माप इकाइयों, जैसे वर्ग मीटर, लीनियर मीटर, वर्ग गज, लीनियर गज तथा वर्ग फुट में भी किया जाता है।
- vii. घरेलू उद्योग को नायलॉन 6,6 को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
- viii. घरेलू उद्योग ने 225 सेमी से अधिक चौड़ाई, 350 से अधिक रेटिंग तथा 100 मीटर से अधिक लंबाई वाले विचाराधीन उत्पाद की बिक्री के चालान उपलब्ध कराए हैं।
- ix. घरेलू उद्योग ने विभिन्न पक्षकारों को बेचे गए 1,000 मीटर से अधिक लंबाई वाले विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री से संबंधित चालान तथा पैकिंग सूची भी उपलब्ध कराई है।

- x. जहाँ तक उन विशिष्ट विनिर्देशों की बिक्री का प्रश्न है जिनकी बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा नहीं की गई, यदि उपभोक्ताओं ने पर्याप्त कीमतों पर अधिक ऑर्डर दिए होते, तो घरेलू उद्योग इन विनिर्देशों वाले उत्पादों की आपूर्ति कर सकता था। तथापि, कम कीमतों के कारण उपभोक्ताओं ने आयात को प्राथमिकता दी।
- xi. घरेलू उद्योग के पास डबल-डिपिंग तथा सिंगल-डिपिंग, दोनों प्रकार की क्षमता उपलब्ध है। डिपिंग ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार की जाती है।
- xii. घरेलू उद्योग 2 मीट्रिक टन से अधिक रोल-वजन वाले उत्पाद रोल की आपूर्ति कर सकता है। उपयोगकर्ता उद्योग द्वारा जिस ब्रोशर पर भरोसा किया गया है, वह पुराना ब्रोशर है।
- xiii. घरेलू उद्योग ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार ट्विस्टेड तथा अनट्विस्टेड, दोनों प्रकार के उत्पादों की आपूर्ति कर सकता है।
- xiv. EEE, EEH, EHH, EES, NN तथा NES प्रकार के उत्पादों का आयात किया जा रहा है और इसलिए इन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता।
- xv. उत्पाद का व्यापार सामान्यतः फैब्रिक के प्रकार के आधार पर किया जाता है। इसी कारण आयात आँकड़ों तथा विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के चालानों में सामान्यतः फैब्रिक के प्रकार (क्लास) और चौड़ाई से संबंधित जानकारी उपलब्ध होती है।
- xvi. एसोसिएशन द्वारा बड़ी संख्या में मानदंडों के आधार पर पीसीएन पद्धति निर्धारित करने के अनुरोध के संबंध में, कीमतों में कथित अंतर को दर्शाने वाली कोई सूचना अथवा साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। भाग लेने वाली एसोसिएशन के बड़ी संख्या में सदस्य इस उत्पाद के उपयोगकर्ता हैं और वे कीमतों में कथित अंतर के संबंध में आवश्यक सूचना उपलब्ध करा सकते थे।
- xvii. प्राधिकारी द्वारा माप की इकाई के रूप में भार को अपनाया गया है। चौड़ाई और लंबाई के कारण कीमतों में किसी कथित अंतर का प्रभाव भार को माप की इकाई के रूप में अपनाने से पहले ही समाहित हो जाता है। अतः चौड़ाई और लंबाई को अलग पीसीएन मानदंड के रूप में अपनाने का कोई कारण नहीं है।
- xviii. उत्पाद की रेटिंग, उत्पाद की प्रति इकाई GSM के अनुपात में होती है। अधिक GSM वाले उत्पाद की रेटिंग भी अधिक होगी। चूँकि आँकड़ों पर भार के आधार पर विचार किया गया है, इसलिए रेटिंग को अलग पीसीएन मानदंड के रूप में अपनाने का कोई कारण नहीं है। उत्पाद की बुनाई का उसकी कीमत पर प्रभाव पड़ता है, परंतु इससे उत्पाद की लागत पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता। अलग-अलग बुनाई वाले उत्पादों का निर्माण समान विनिर्माण लाइनों पर किया जा सकता है और इनके लिए अलग मशीन की आवश्यकता नहीं होती। अंतर केवल विनिर्माण में लगने वाले समय

के कारण उत्पन्न होता है। घरेलू उद्योग द्वारा अपने आवेदन में किए गए दावे के अनुसार, इन मानदंडों के कारण लागत में अंतर 5% से कम है।

- xix. अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कि घरेलू उद्योग के उत्पाद में गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ रही हैं, इच्छुक पक्षकारों द्वारा बताए गए मामले अलग-अलग और एकबारगी घटनाएँ थीं। घरेलू उद्योग इन संस्थाओं को लगातार उत्पाद की आपूर्ति करता रहा है। जाँच अवधि के दौरान पक्षकार-वार की गई बिक्री का विवरण उपलब्ध कराया गया है, जिससे यह देखा जा सकता है कि उपभोक्ताओं ने बार-बार ऑर्डर दिए हैं। यदि उत्पाद की गुणवत्ता उपयुक्त नहीं होती, तो उपभोक्ता पुनः ऑर्डर नहीं देते।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

7. प्रारंभ के चरण में, विचाराधीन उत्पाद को चेफर फैब्रिक को छोड़कर, पॉलिएस्टर या नायलॉन के 80% या अधिक से किसी भी संयोजन में निर्मित बेल्टिंग फैब्रिक के रूप में परिभाषित किया गया था। प्राधिकारी का संज्ञान है कि उत्पाद को रबराइज्ड टेक्सटाइल फैब्रिक (आरटीएफ) या कन्वेयर बेल्ट फैब्रिक (सीबीएफ) के रूप में भी जाना जाता है और मुख्य रूप से कन्वेयर बेल्ट के निर्माण में उपयोग किया जाता है।
8. प्राधिकारी ने सूचना की तारीख से 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद की परिधि और पीसीएन पद्धति पर हितबद्ध पक्षों से टिप्पणियाँ आमंत्रित कीं। प्रारंभिक अवधि 22 अक्टूबर 2025 को समाप्त हुई और कुछ हितबद्ध पक्षों के अनुरोध पर 30 अक्टूबर 2025 तक विस्तारित की गई।
9. हितबद्ध पक्षों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद की परिधि और पीसीएन पद्धति को स्पष्ट किया, जो फा. सं. 6/49/2025-डीजीटीआर, दिनांक 7 नवंबर 2025 की सूचना द्वारा अधिसूचित किया गया और नीचे दोहराया गया है।

"विचाराधीन उत्पाद की परिधि

विचाराधीन उत्पाद चेफर फैब्रिक और ग्रे फैब्रिक/अडिप्ड (अनभिज) फैब्रिक को छोड़कर, पॉलिएस्टर या नायलॉन के 80% या अधिक से किसी भी संयोजन में निर्मित बेल्टिंग फैब्रिक है।

निम्नलिखित ताने और बाने वाले बेल्टिंग फैब्रिक भी बाहर रखे गए हैं:

क्र. सं.	ताना 1	ताना 2	बाना	बेल्टिंग फैब्रिक कोड
1	एम-अरामिड	--	एम-अरामिड	AA
2	पॉलीकॉटन	--	पॉलीकॉटन	BPBP
3	पी-अरामिड	--	पी-अरामिड	DD
4	पॉलिएस्टर	पॉलिएस्टर	पॉलिएस्टर मोनोफिलामेंट	EEM
5	पॉलिएस्टर	पॉलिएस्टर	नायलॉन 6,6	EEP
6	पॉलिएस्टर	--	पॉलिएस्टर मोनोफिलामेंट	EM
7	पॉलिएस्टर	--	नायलॉन 6	EN
8	पॉलिएस्टर	--	नायलॉन 6,6	EP
9	पॉलिएस्टर	नायलॉन 6,6	नायलॉन 6,6	EPP
10	स्पन पॉलिएस्टर	--	पॉलिएस्टर मोनोफिलामेंट	ESM
11	नायलॉन 6,6	--	नायलॉन 6,6	PP
12	नायलॉन 6,6	--	पॉलिएस्टर	PE
13	नायलॉन 6,6	--	पॉलिएस्टर मोनोफिलामेंट	PM
14	नायलॉन 6	--	कॉटन	NB
15	पॉलीप्रोपाइलीन	--	पॉलीप्रोपाइलीन मोनोफिलामेंट	RM
16	पॉलीप्रोपाइलीन	--	पॉलीप्रोपाइलीन	RR
17	पॉलिएस्टर	--	स्टील कॉर्ड	SB
18	नायलॉन 6	--	नायलॉन 6	SC- Chafer
19	पॉलिएस्टर	--	कॉटन	EB-SW

पीसीएन पद्धति

क्र. सं.	ताना 1	ताना 2	बाना	पीसीएन कोड
1	पॉलिएस्टर	--	पॉलिएस्टर	EE
2	पॉलिएस्टर	पॉलिएस्टर	पॉलिएस्टर	EEE
3	पॉलिएस्टर	--	हाई एलॉन्गेशन पॉलिएस्टर	EEH
4	पॉलिएस्टर	हाई एलॉन्गेशन पॉलिएस्टर	हाई एलॉन्गेशन पॉलिएस्टर	EEH
5	पॉलिएस्टर	--	स्पन पॉलिएस्टर	EES
6	नायलॉन 6	--	नायलॉन 6	NN
7	नायलॉन 6	--	स्पन पॉलिएस्टर	NES

10. पीयूसी/पीसीएन पद्धति की अधिसूचना के बाद, इच्छुक पक्षकारों द्वारा उत्पाद के दायरे के संबंध में अतिरिक्त प्रस्तुतियाँ की गईं। यद्यपि ये प्रस्तुतियाँ विलंब से प्राप्त हुईं, तथापि इनकी नीचे जाँच की गई है।

I. नायलॉन 6,6 को बाहर रखे जाने के संबंध में स्पष्टीकरण

11. अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा नायलॉन 6,6 को बाहर रखे जाने के संबंध में माँगे गए स्पष्टीकरण के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि नायलॉन 6,6 को पहले ही विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जा चुका है। घरेलू उद्योग ने भी इसे बाहर रखे जाने पर सहमति व्यक्त की है।

II. 225 सेमी से अधिक चौड़ाई वाला उत्पाद

12. अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कि घरेलू उद्योग 225 सेमी से अधिक चौड़ाई वाले उत्पाद का विनिर्माण नहीं करता, घरेलू उद्योग ने 225 सेमी से अधिक चौड़ाई वाले उत्पादों की घरेलू बिक्री के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। प्राधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध चालानों की जाँच की है। ऐसे उत्पादों की वास्तविक आपूर्ति को दर्शाने वाले साक्ष्यों

को देखते हुए, प्राधिकारी को 225 सेमी से अधिक चौड़ाई वाले उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने का पर्याप्त आधार नहीं मिला है।

III. 1,000 मीटर से अधिक लंबाई अथवा 350 रेटिंग में 520 मीटर लंबाई वाला उत्पाद

13. अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कि घरेलू उद्योग के पास 1,000 मीटर से अधिक लंबाई अथवा 350 रेटिंग में 520 मीटर लंबाई वाले उत्पाद की आपूर्ति करने की क्षमता नहीं है, प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने 1,000 मीटर से अधिक लंबाई वाले उत्पादों की घरेलू बिक्री को प्रमाणित करने वाले चालान तथा पैकिंग सूचियाँ प्रस्तुत की हैं। घरेलू उद्योग ने 350 रेटिंग में 520 मीटर लंबे रोल की बिक्री के साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं। ऐसे उत्पादों की वास्तविक आपूर्ति के साक्ष्यों को देखते हुए, प्राधिकारी को इन उत्पादों को दायरे से बाहर रखने का पर्याप्त आधार नहीं मिला है।

IV. 2 मीट्रिक टन से अधिक रोल-वजन वाला उत्पाद

14. अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कि घरेलू उद्योग के ब्रोशर के अनुसार वह 2 मीट्रिक टन से अधिक वजन वाले रोल की आपूर्ति नहीं कर सकता, घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि इच्छुक पक्षकारों द्वारा जिस ब्रोशर पर भरोसा किया गया है वह पुराना है। घरेलू उद्योग ने अपने वर्तमान ब्रोशर की प्रति प्रस्तुत की है, जिससे यह देखा गया है कि उसके पास 2 मीट्रिक टन से अधिक वजन वाले रोल की आपूर्ति करने की क्षमता है। प्राधिकारी का विचार है कि वास्तविक विनिर्माण सीमा को दर्शाने वाले किसी साक्ष्य के अभाव में केवल एक पुराना ब्रोशर यह स्थापित नहीं कर सकता कि घरेलू उद्योग में ऐसी क्षमता नहीं है। यह भी देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर प्राप्त टिप्पणियों के उत्तर में घरेलू उद्योग ने 2 मीट्रिक टन से अधिक वजन वाले रोल की बिक्री का चालान प्रस्तुत किया है। अतः प्राधिकारी को इस दावे में कोई आधार नहीं मिलता कि घरेलू उद्योग के पास 2 मीट्रिक टन से अधिक वजन वाले रोल की आपूर्ति करने की क्षमता नहीं है।

V. 125 सेमी से अधिक चौड़ाई वाले फैब्रिक अथवा EEE, EEH, EHH, EES, NN और NES को नगण्य आयात के आधार पर बाहर रखने का अनुरोध

15. अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कि 125 सेमी से अधिक चौड़ाई वाले फैब्रिक अथवा EEE, EEH, EHH, EES, NN और NES प्रकार के फैब्रिक को उनके नगण्य मात्रा में आयात के कारण बाहर रखा जाना चाहिए, प्राधिकारी का विचार है कि केवल यह तथ्य कि विचाराधीन उत्पाद के किसी विशेष प्रकार, ग्रेड अथवा विनिर्देश का आयात

कम अथवा नगण्य मात्रा में हुआ है, अपने आप में उस उत्पाद को जाँच के दायरे से बाहर रखने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता।

16. इन ग्रेडों को जाँच में अलग-अलग पीसीएन के रूप में केवल पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन की गणना के उद्देश्य से माना गया है। अलग पीसीएन बनाए जाने का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक पीसीएन एक अलग और विशिष्ट उत्पाद है, जिसे उत्पाद के दायरे के उद्देश्य से स्वतंत्र रूप से विचार किए जाने की आवश्यकता है। प्राधिकारी का विचार है कि किसी उत्पाद ग्रेड को केवल इस आधार पर विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता कि उस ग्रेड का आयात कुल आयात का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा है। प्राधिकारी का यह भी विचार है कि पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच के लिए आयात की मात्रा का आकलन विषय देश से विचाराधीन उत्पाद के कुल आयात के आधार पर किया जाना आवश्यक है, न कि प्रत्येक अलग-अलग पीसीएन से संबंधित आयात की मात्रा के आधार पर।

VI. घरेलू उद्योग द्वारा (i) सिंगल-स्टेप डिपिंग प्रक्रिया तथा (ii) ट्विस्टिंग प्रक्रिया का उपयोग, जबकि जियाहेंग द्वारा टू-बाथ डिपिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है

17. यह दावा किया गया है कि टू-बाथ डिपिंग के कारण जियाहेंग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद में फैब्रिक की कोटिंग अधिक समान होती है, कोटिंग परत का चिपकाव अधिक मजबूत होता है, तैयार उत्पाद की गुणवत्ता अधिक स्थिर रहती है तथा उत्पादन लागत कम होती है। यह देखा गया है कि यदि विचाराधीन उत्पाद पर डबल डिपिंग की जाए तो इससे अतिरिक्त लागत उत्पन्न होगी। इसके विपरीत, उत्पादक ने दावा किया है कि डबल डिपिंग के कारण उसकी उत्पादन लागत कम होती है। घरेलू उद्योग ने इस दावे का विरोध करते हुए कहा है कि उसके पास डबल डिपिंग और सिंगल डिपिंग, दोनों की क्षमता है और इनका उपयोग ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। घरेलू उद्योग ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार ट्विस्टेड और अनट्विस्टेड, दोनों प्रकार के उत्पादों की आपूर्ति भी कर सकता है। भाग लेने वाले किसी भी उपयोगकर्ता ने यह दावा नहीं किया है कि घरेलू उद्योग डबल-डिपिंग वाला उत्पाद उपलब्ध नहीं कराता। अतः इसके विपरीत किसी सूचना के अभाव में अन्य पक्षकारों की यह प्रस्तुति अस्वीकार की जाती है।

VII. चौड़ाई, लंबाई, रेटिंग तथा बुनाई को अतिरिक्त पीसीएन मानदंड के रूप में शामिल करने का अनुरोध

18. चौड़ाई, लंबाई, रेटिंग तथा बुनाई को अतिरिक्त पीसीएन मानदंड मानने के अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि इच्छुक पक्षकार ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रदर्शित हो कि इन मानदंडों के कारण लागत में कोई महत्वपूर्ण अंतर उत्पन्न

होता है। चूँकि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण लागत की तुलनीयता के आधार पर किया जाता है, इसलिए पीसीएन पद्धति में कोई अतिरिक्त मानदंड तभी प्रासंगिक होगा जब वह उत्पाद की लागत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता हो। लंबाई और चौड़ाई का प्रभाव भार को माप की इकाई के रूप में अपनाने से पहले ही समाहित हो जाता है। इसी प्रकार, रेटिंग का व्यापक रूप से GSM से संबंध है और उसका प्रभाव भी भार में परिलक्षित होता है। जहाँ तक बुनाई का संबंध है, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि मुख्य अंतर विनिर्माण में लगने वाले समय के कारण उत्पन्न होता है। घरेलू उद्योग ने कहा है कि इसके कारण लागत में अंतर 5% से कम है। इसके अतिरिक्त, भाग लेने वाले किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने इन मानदंडों के आधार पर अलग पीसीएन निर्धारित करने का अनुरोध नहीं किया है। अतः प्राधिकारी को चौड़ाई, लंबाई, रेटिंग अथवा बुनाई के आधार पर अधिसूचित पीसीएन पद्धति में संशोधन करने का कोई आधार नहीं मिलता और पहले से अधिसूचित पीसीएन को यथावत रखा जाता है।

VIII. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद में गुणवत्ता संबंधी मुद्दे

19. अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा हिन्दुस्तान रबर एंड जनरल इंडस्ट्रीज तथा नीलकंठ बेल्टिंग्स को आपूर्ति किए गए उत्पादों में ऐसी समस्याएँ थीं जिनके कारण उत्पाद वापस किए गए, घरेलू उद्योग ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि ये एकबारगी घटनाएँ थीं। घरेलू उद्योग ने आगे कहा है कि शिकायतें प्राप्त होने पर उसने सुधारात्मक उपाय किए तथा मूल्यांकन हेतु हिन्दुस्तान रबर एंड जनरल इंडस्ट्रीज को नए नमूने उपलब्ध कराए। घरेलू उद्योग ने यह भी प्रस्तुत किया है कि बार-बार अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने के बावजूद ग्राहक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई बिक्री संबंधी सूचना की भी जाँच की है और यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग को ग्राहकों से लगातार दोबारा ऑर्डर प्राप्त होते रहे हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि इच्छुक पक्षकारों ने स्वयं यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग का उत्पाद अनेक पीएसयू टैंडरों में स्वीकार किया जाता है। यह स्वयं इस बात का प्रमाण है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद बाजार में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और घरेलू उद्योग डाउनस्ट्रीम उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त विविधता वाले उत्पादों का निर्माण करता है। ग्राहकों द्वारा घरेलू उद्योग से लगातार उत्पाद की खरीद किया जाना इस बात का प्रासंगिक संकेतक है कि गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ लगातार बनी रहने वाली कमियाँ नहीं थीं। यदि कथित गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ ऐसी प्रकृति और गंभीरता की होतीं कि घरेलू उद्योग का उत्पाद अपेक्षित उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता, तो

इसका घरेलू उद्योग की मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने तथा उनसे पुनः ऑर्डर प्राप्त करने की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ना स्वाभाविक होता।

20. प्राधिकारी का विचार है कि किसी व्यक्तिगत ग्राहक की शिकायत अथवा किसी विशेष खेप को अस्वीकार किया जाना, अपने आप में यह स्थापित नहीं कर सकता कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद में स्वाभाविक रूप से गुणवत्ता संबंधी कमी है अथवा वह उपयोगकर्ताओं की तकनीकी आवश्यकताओं को लगातार पूरा करने में विफल रहता है। किसी भी विनिर्माण प्रक्रिया में, विशेषकर अनुकूलित औद्योगिक उत्पाद के मामले में, कभी-कभार अस्वीकृति अथवा गुणवत्ता में अंतर की घटनाएँ हो सकती हैं।
21. अतः प्राधिकारी का विचार है कि इच्छुक पक्षकारों द्वारा जिन अलग-अलग घटनाओं पर भरोसा किया गया है, उन्हें घरेलू उद्योग की समग्र बिक्री के साथ देखने पर यह निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं बनता कि घरेलू उद्योग के उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अथवा अंतर्निहित गुणवत्ता संबंधी समस्या है। न तो यह दावा किया गया है और न ही यह स्थापित किया गया है कि ऐसी घटनाएँ लगातार अथवा बार-बार होती रही हैं।

IX. समान वस्तु

22. विषय देश से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद तथा घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई समान वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद तथा विषय देश से आयातित उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे मानदंडों के आधार पर तुलनीय हैं। दोनों उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जा सकते हैं तथा उपभोक्ता इनका परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग कर सकते हैं। अतः प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।

घ घरेलू उद्योग का दायरा और अधिकारिता

घ.1 हितबद्ध पक्षों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

23. संबद्ध उत्पाद के दायरे और उसकी अधिकारिता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:
 - i. मदुरा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स लिमिटेड, रावास्को ट्रांसमिशन (वापी) और हिंदुस्तान रबर (सिलवासा) से संबंधित है, जो विचाराधीन उत्पाद का नियमित रूप से आयात करते हैं।
 - ii. आवेदक ने अन्य देशों से आयातों की सूचना का खुलासा नहीं किया है।

- iii. आवेदक ने क्षति अवधि के दौरान चीन से एनएन फैब्रिक का आयात किया है।
- iv. पॉलिएस्टर यार्न पर क्यूसीओ के क्रियान्वयन के पश्चात, जॉनसन, ग्रैबटेक और दीपक टेक्सटाइल्स को अपना परिचालन बंद करने के लिए विवश होना पड़ा, जबकि सनरिया ने अपने उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा उच्च मूल्य-वर्धित फैब्रिक में स्थानांतरित कर दिया।
- v. पॉलिएस्टर यार्न पर क्यूसीओ का अधिरोपण, पिछड़ी अभिन्नता (बैकवर्ड इंटीग्रेशन) के कारण एसआरएफ और मदुरा पर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियां।

24. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के दायरे और अधिकारिता के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियां की हैं:
- i. आवेदक को ग्रैबटेक फैब्रिक्स एलएलपी, मदुरा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स, एनआरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सनरिया टेक्निकल टेक्सटाइल्स लिमिटेड का समर्थन प्राप्त है।
 - ii. मदुरा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स लिमिटेड के किसी आयातक से संबंध के संबंध में, कंपनी वर्तमान मामले में आवेदक नहीं है, अतः नियम 2(बी) का उल्लेख करने का कोई कारण नहीं है।
 - iii. भारतीय कुल उत्पादन में आवेदक के उत्पादन का हिस्सा 68% है। चूंकि अन्य उत्पादकों ने आवेदन को समर्थन दिया है, अतः समर्थकों को सम्मिलित करते हुए, घरेलू उद्योग और समर्थक भारत में कुल उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं।
 - iv. घरेलू उद्योग ने न तो संबद्ध देश से उत्पाद का आयात किया है और न ही संबद्ध देश के किसी उत्पादक/निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित है।
 - v. आवेदक द्वारा किए गए आयातों के संबंध में, आवेदक ने भारत से अन्य वैश्विक ग्राहकों को कुछ उत्पाद का निर्यात किया था और इसकी कुछ मात्रा ग्राहकों द्वारा वापस भेज दी गई। ये "पुनः-आयात" हैं। इनमें से कोई भी लेनदेन जांच अवधि (पीओआई) से संबंधित नहीं है।

घ.3 प्राधिकरण द्वारा परीक्षण।

25. पाटनरोधी नियमों का नियम 2(बी) घरेलू उद्योग को निम्नलिखित रूप में परिभाषित करता है:

"(बी) 'घरेलू उद्योग' से समान वस्तु के निर्माण में लगे घरेलू उत्पादकों का समग्र रूप से, और उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि का, अथवा वे उत्पादक जिनके उक्त वस्तु के सामूहिक उत्पादन का, उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात बनता

है, अभिप्रेत है; सिवाय तब, जब ऐसे उत्पादक अभिकथित डंप किए गए लेख के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों अथवा स्वयं उसके आयातक हों, ऐसी स्थिति में 'घरेलू उद्योग' शब्द का अर्थ उत्पादकों के शेष वर्ग से लगाया जा सकता है।"

26. आवेदन एसआरएफ लिमिटेड द्वारा दाखिल किया गया है और इसे ग्रैबटेक फैब्रिक्स एलएलपी, मदुरा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स, एनआरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सनरिया टेक्निकल टेक्सटाइल्स लिमिटेड का समर्थन प्राप्त है।
27. हितबद्ध पक्षों ने दावा किया है कि मदुरा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स को नियम 2(बी) के अर्थ में घरेलू उद्योग के रूप में शामिल होने के लिए पात्र नहीं माना जा सकता। हितबद्ध पक्षों के अनुसार, मदुरा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स, रावास्को ट्रांसमिशन (वापी) और हिंदुस्तान रबर (सिलवासा) से संबंधित है, जो विचाराधीन उत्पाद का नियमित रूप से आयात करते हैं। हितबद्ध पक्षों ने कहा है कि मदुरा की व्यापारिक गतिविधियों की पूर्ति हेतु उनके इशारे पर किए गए इन आयातों में से कुछ के होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। प्राधिकारी का विचार है कि मदुरा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स लिमिटेड वर्तमान कार्यवाही में आवेदक नहीं है। आगे, कंपनी ने वर्तमान आवेदन का समर्थन किया है और उपायों के अधिरोपण की मांग करते हुए प्रस्तुतियां दाखिल की हैं।
28. घरेलू उद्योग भारत में किसी आयातक अथवा संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों/निर्यातकों से संबंधित नहीं है।
29. हितबद्ध पक्षों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग ने कुछ उत्पाद का आयात किया है। आयात आंकड़ों का परीक्षण किया गया है। यह देखा गया है कि इन लेनदेनों में मूल देश "भारत" अंकित है। आवेदक ने स्पष्ट किया है कि उसने भारत से अन्य वैश्विक ग्राहकों को कुछ उत्पादों का निर्यात किया था और कुछ मात्रा ग्राहकों द्वारा वापस भेज दी गई तथा इन आयातों में से कोई भी जांच अवधि से संबंधित नहीं है। आवेदक ने यह भी कहा है कि उसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। डीजी सिस्टम्स के लेनदेन-वार आंकड़ों का परीक्षण किया गया है, और यह देखा गया है कि आवेदक ने संबद्ध देश अथवा किसी अन्य देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।
30. नीचे दी गई सारणी आवेदक और समर्थकों की भारतीय उत्पादन में हिस्सेदारी को दर्शाती है।

क्र. सं.	विवरण	माप की इकाई	उत्पादन	हिस्सा	सीमा
----------	-------	-------------	---------	--------	------

1	आवेदक	एमटी	***	***	60-70
2	समर्थक	एमटी	***	***	30-40
क	सनरिया टेक्निकल टेक्सटाइल्स लिमिटेड	एमटी	***	***	0-10
ख	मदुरा इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल्स लिमिटेड	एमटी	***	***	30-40
ग	एनआरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	एमटी	***	***	0-10
घ	ग्रेबटेक फैब्रिक्स एलएलपी	एमटी	***	***	-
3	कुल भारतीय उत्पादन	एमटी	***	***	

31. यह देखा गया है कि आवेदक का उत्पादन भारतीय उत्पादन में एक प्रमुख अनुपात बनाता है। भारत में उत्पाद के सभी उत्पादकों ने उपायों के अधिरोपण का समर्थन किया है।
32. अतः, प्राधिकारी का मत है कि आवेदक नियमों के नियम 2(बी) के अर्थ में घरेलू उद्योग है और प्राधिकारी का विचार है कि आवेदन नियमों के नियम 5(3) के अर्थ में अधिकारिता के मानदंडों को पूर्ण करता है।

ड गोपनीयता और प्रकीर्ण विषय

ड.1 हितबद्ध पक्षों द्वारा की गई प्रस्तुतियां

33. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां की गई हैं:
- घरेलू उद्योग ने ट्रेड नोटिस सं. 10/2018 का उल्लंघन करते हुए अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। आवेदक सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादन की मात्रा और मूल्य, क्षमता उपयोग की औसत उद्योग नॉर्म, उत्पादकता, सूची (इन्वेंट्री), बिक्री मात्रा, बिक्री मूल्य, प्रति इकाई बिक्री अर्जन, अनुसंधान एवं विकास व्यय, जुटाई गई धनराशि, प्रति इकाई बिक्री लागत, निर्यात और अक्षतिकारी मूल्य (एनआईपी) की गणना और समर्थक की सूचना के संबंध में वास्तविक सूचना उपलब्ध कराने में विफल रहा है।
 - आवेदक व्यापार-उपचार उपायों का एक आदतन उपयोगकर्ता है।
 - आवेदन में जांच के प्रारंभ और अंतरिम उपायों के अधिरोपण के औचित्य के लिए पाटन के पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं।
 - उत्पाद की पूर्व में जांच की गई थी और प्राधिकरण ने यह पाया था कि डंप किए गए आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कोई कारण संबंध नहीं था। जांच के तथ्य समान हैं।

इ.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियां।

34. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियां की हैं:

- i. निर्यातकों द्वारा दाखिल प्रश्नावली उत्तर में, कुछ प्रश्नों के उत्तरों को पूर्णतः गोपनीय दावा किया गया है, जिनमें उत्पादन प्रक्रिया, प्रमुख कच्चे माल की सूची, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और विक्रय में शामिल संबद्ध पक्षों की सूची, वित्तीय लेखांकन प्रणाली, व्यापक चरणबद्ध विनिर्माण और वितरण के चैनल पर लेख, एक गैर-गोपनीय सार या तर्क के बिना सम्मिलित हैं।
- ii. अनुचित आयातों के विरुद्ध राहत मांगने की घरेलू उद्योग की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आवेदक 80-90 से अधिक उत्पादों का उत्पादन करता है। यदि आवेदक पाटनरोधी जांच का आदतन उपयोगकर्ता होता, तो उसने अन्य उत्पादों पर भी व्यापार-उपचार उपायों की मांग की होती।
- iii. पूर्व जांच के साथ संबंध और पूर्व जांच में पाए गए कारण संबंध की अनुपस्थिति के कथनों के संबंध में, वर्तमान जांच के तथ्य पूर्व जांच के तथ्यों से पूर्णतः भिन्न हैं।

इ.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण।

35. प्राधिकारी ने नियम 6(7) तथा दिनांक 7 सितम्बर 2018 के व्यापार सूचना संख्या 10/2018, जिसे व्यापार सूचना संख्या 01/2020 के साथ पढ़ा जाए और जिसे प्राधिकारी द्वारा अगले आदेश तक बढ़ाया गया है, के अनुसार विभिन्न इच्छुक पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय संस्करण सभी इच्छुक पक्षकारों को उपलब्ध कराया।

“गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) तथा नियम 17 के उप-नियम (4) में निहित किसी बात के होते हुए भी, नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियाँ अथवा जाँच के दौरान किसी पक्षकार द्वारा नामित प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई कोई अन्य सूचना, यदि नामित प्राधिकारी उसकी गोपनीय प्रकृति से संतुष्ट है, तो उसे गोपनीय माना जाएगा और ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी अन्य पक्षकार को उसका प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा।

(2) नामित प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है। यदि ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की राय में उसका सारांश तैयार करना संभव नहीं है, तो वह नामित प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है जिनके कारण उसका सारांश तैयार करना संभव नहीं है।

(3) उप-नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि नामित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का दावा उचित नहीं है अथवा सूचना उपलब्ध कराने वाला पक्षकार उस सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटीकरण की अनुमति देने को इच्छुक नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकता है।”

36. घरेलू उद्योग तथा अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में की गई प्रस्तुतियों की, जहाँ तक उन्हें प्रासंगिक माना गया, प्राधिकारी द्वारा जाँच की गई और तदनुसार उनका निपटारा किया गया। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग और इच्छुक पक्षकारों ने उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, भंडार, बिक्री मूल्य, लागत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर प्रतिफल, क्षति-रहित कीमत, उत्पादन लागत संबंधी सूचना, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन, मूल्य समायोजन, लाभ संबंधी सूचना, बिक्री चैनल, बिक्री एवं खरीद दस्तावेज, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के नाम आदि जैसी सूचनाओं पर गोपनीयता का दावा किया है। यह भी देखा गया है कि जहाँ सूचना क्षति अवधि से संबंधित है, वहाँ उसे सूचकांकित आधार पर उपलब्ध कराया गया है। सामान्य मूल्य, क्षति-रहित कीमत तथा मूल्य कटौती जैसी सूचनाओं का प्रकटीकरण रेंज के रूप में किया गया है।
37. इच्छुक पक्षकारों ने विभिन्न सहायक दस्तावेजों एवं सूचनाओं पर भी गोपनीयता का दावा किया है, जहाँ ऐसी सूचना उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की गई है। जिन मामलों में किसी इच्छुक पक्षकार ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण सार्वजनिक नहीं किए हैं, वहाँ उन्हें गोपनीय बताया गया है। जहाँ भी इच्छुक पक्षकारों ने किसी दस्तावेज को गोपनीय बताया है, यह नोट किया गया है कि उन्होंने यह दावा किया है कि ऐसे दस्तावेजों का सारांश तैयार करना संभव नहीं है और उन्होंने इसके कारण भी बताए हैं।
38. प्राधिकारी ने सभी जाँचों में घरेलू उद्योगों, विदेशी उत्पादकों तथा अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई ऐसी सूचना और दस्तावेजों पर गोपनीयता का दावा करने की अनुमति निरंतर दी है। प्राधिकारी नोट करता है कि सभी इच्छुक पक्षकारों ने अपनी व्यवसाय-संबंधी संवेदनशील सूचना को गोपनीय बताया है। जहाँ गोपनीयता का दावा उचित पाया गया, प्राधिकारी ने उसे स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य इच्छुक पक्षकारों के समक्ष उसका प्रकटीकरण नहीं किया गया है।
39. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग व्यापार उपचार उपायों का बार-बार उपयोग करता है, यह देखा गया है कि कानून में इस बात पर कोई रोक नहीं है कि घरेलू उद्योग विदेशी

उत्पादकों/निर्यातकों की अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध कितनी बार उपचार की मांग कर सकता है। इसी प्रकार, पाटनरोधी शुल्क कितनी बार लगाया जा सकता है, इस पर भी कोई विधिक प्रतिबंध नहीं है। पाटनरोधी जाँच का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि पाटित आयातों तथा उनके कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को देखते हुए सुधारात्मक उपाय आवश्यक हैं या नहीं। पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश केवल जाँच पूरी होने तथा आवश्यक विधिक शर्तें पूरी होने के बाद ही की जाती है।

40. अन्य इच्छुक पक्षकारों ने कहा है कि घरेलू उद्योग ने वर्तमान जाँच प्रारंभ करने को उचित ठहराने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और प्राधिकारी ने तथ्यों की उचित जाँच नहीं की। पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3)(b) के अनुसार नामित प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि जाँच प्रारंभ करने से पूर्व वह आवेदन में पाटन, क्षति तथा कारणात्मक संबंध के संबंध में उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों की शुद्धता एवं पर्याप्तता की जाँच करे। घरेलू उद्योग ने जाँच प्रारंभ करने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराई थी और जाँच तभी प्रारंभ की गई जब यह संतोष हुआ कि जाँच शुरू करने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं। इच्छुक पक्षकारों ने ऐसी किसी सूचना की पहचान नहीं की है जिसे घरेलू उद्योग वर्तमान मामले में जाँच प्रारंभ करने की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रस्तुत करने में विफल रहा हो।

प्राधिकारी इस संबंध में मैक्सिको से ग्रे पोर्टलैंड सीमेंट से संबंधित विश्व व्यापार संगठन पैनल रिपोर्ट ग्वाटेमाला - सीमेंट II, WT/DS156/R का भी संदर्भ देता है, जिसमें निम्नलिखित अवलोकन किया गया था:

साक्ष्य की शुद्धता एवं पर्याप्तता पर विचार करते हुए पैनल ने कहा कि यदि आवेदन में उपलब्ध कराई गई सूचना वही समस्त सूचना है जो अनुच्छेद 5.2 के अनुसार आवेदक को युक्तिसंगत रूप से उपलब्ध हो सकती थी, तो जाँच प्राधिकारी द्वारा जाँच प्रारंभ करना उचित है। जाँच प्रारंभ करने के औचित्य के स्तर पर नामित प्राधिकारी से विस्तृत जाँच करने की अपेक्षा नहीं की जाती; उसे केवल प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट होना होता है कि आवेदन पाटन, क्षति तथा पाटित आयात और कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध से संबंधित साक्ष्यों द्वारा समर्थित है।

च सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 इच्छुक पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

41. अन्य इच्छुक पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

- i. आवेदक ने निर्यात कीमत तथा उससे संबंधित समायोजनों के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं। कमीशन, ऋण लागत तथा इन्वेंट्री धारण लागत जैसे मनमाने समायोजन का दावा किया गया है।
- ii. प्राधिकारी को स्थानापन्न आँकड़ों के उपयोग को अस्वीकार करना चाहिए और इसके स्थान पर चीन की वास्तविक लागत तथा कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना चाहिए।
- iii. चीन में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और भारत में उत्पादित उत्पाद की उत्पादन लागत में अंतर, चीन जनवादी गणराज्य में विद्यमान आर्थिक परिस्थितियों के कारण नहीं, बल्कि चीन में अपनाई जाने वाली अलग-अलग विनिर्माण पद्धतियों के कारण है।
- iv. चीनी उत्पादकों द्वारा अपनाई गई विचाराधीन उत्पाद की वास्तविक उत्पादन प्रक्रिया और पद्धतियों को दर्शाने के लिए सामान्य मूल्य में उचित समायोजन किया जाना चाहिए।
- v. पाटनरोधी नियमावली का नियम 17(3) यह प्रावधान करता है कि नमूना चयन एक अपवाद है और इसका उपयोग केवल तब किया जाना चाहिए जब बड़ी संख्या में भाग लेने वाले पक्षकारों के कारण प्रत्येक निर्यातक के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करना व्यावहारिक न हो।
- vi. चीन के उत्पादक भारत में चयनात्मक पाटन नहीं कर रहे हैं।
- vii. आवेदक ने इस तथ्य की अनदेखी की है कि किसी भी उत्पाद की “निर्यात कीमत” सामान्यतः घरेलू कीमत से कम होती है, क्योंकि इसमें सभी कर शामिल नहीं होते।
- viii. आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई समुद्री मालभाड़ा दरें वर्ष 2023 की हैं, न कि जाँच अवधि की।
- ix. उत्पाद के आयातक सीधे उत्पादकों से खरीद करते हैं और लेन-देन में कोई कमीशन एजेंट शामिल नहीं होता। अतः निर्यात कीमत में कमीशन का समायोजन नहीं किया जाना चाहिए।
- x. खरीद लेटर ऑफ क्रेडिट, अर्थात साइट LC, अथवा अग्रिम भुगतान के आधार पर की जाती है। अतः निर्यात कीमत से किसी ऋण लागत की कटौती करने की आवश्यकता नहीं है।
- xi. चीन के उत्पादक नॉन-एक्टिवेटेड, अनट्विस्टेड पॉलिएस्टर यार्न का उपयोग करते हैं और डबल-डिपिंग प्रक्रिया अपनाते हैं। इसके परिणामस्वरूप कम GSM तथा कम डिप

पिक-अप वाले फैब्रिक का उत्पादन होता है, जिसकी आपूर्ति मुख्यतः कमर्शियल-ग्रेड कन्वेयर बेल्ट निर्माताओं को की जाती है। इससे उत्पादन लागत कम होती है। यदि प्राधिकारी आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करता है, तब भी भारत और चीन में अपनाई जाने वाली उत्पादन प्रक्रिया के अंतर के लिए उचित समायोजन किया जाना चाहिए।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

42. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

- i. चीन जनवादी गणराज्य को चीन के अभिगमन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था (एनएमई) माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के नियम 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।
- ii. 11 दिसम्बर 2016 को चीन के अभिगमन प्रोटोकॉल के केवल अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधान समाप्त हुए थे, जबकि अनुच्छेद 15(क)(i) अभी भी प्रभावी है। इसके अंतर्गत चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों/निर्यातकों को यह स्थापित करना आवश्यक है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं।
- iii. आवेदक किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में वास्तविक बिक्री कीमत अथवा उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं कर सका, क्योंकि वास्तविक बिक्री कीमत से संबंधित कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं था।
- iv. घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात कीमत की गणना में किए गए समायोजनों पर उपयोगकर्ताओं द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में, चीन के उत्पादकों ने जाँच में भाग लिया है और यह दावा नहीं किया है कि आवेदक द्वारा दर्शाई गई निवल एक्स-फैक्ट्री कीमत गलत है। अंतिम पाटन मार्जिन का निर्धारण उत्पादकों द्वारा दाखिल प्रश्नावली उत्तर के आधार पर किया जाएगा।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

43. निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया गया है:

- i. वूहू एस.एच.जेड इंडस्ट्रियल फैब्रिक कंपनी लिमिटेड
- ii. ओरिएंटल इंडस्ट्रीज (सूझोउ) लिमिटेड
- iii. जियांगसू ताइजी इंडस्ट्री न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
- iv. झेजियांग यूनिफॉल हाई-टेक इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- v. जियांगसू जियाहेंग फाइबर कंपनी लिमिटेड
- vi. झांगजियागांग शिनबाओयुआन ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

- vii. चिंगझोउ शेंगबो न्यू प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड
- viii. चिंगदाओ चेनलानशिन बिजनेस एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
- ix. वूशी पॉलीमिको मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
- x. शूयी हुआचेंग इंडस्ट्रियल क्लॉथ कंपनी लिमिटेड

च.3.1 नमूना चयन का निर्धारण

44. नियम 17 के प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा प्रश्नावली उत्तर दाखिल करने वाले सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। तथापि, जहाँ चीन जनवादी गणराज्य से बड़ी संख्या में उत्पादकों/निर्यातकों ने जाँच में भाग लिया हो और प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए हों, वहाँ प्राधिकारी अपनी जाँच को उत्पादकों/निर्यातकों की युक्तिसंगत संख्या तक सीमित करते हुए नमूना चयन का सहारा ले सकता है। इस संबंध में नियमों में निम्नलिखित प्रावधान है:

“17(3) नामित प्राधिकारी जाँचाधीन वस्तु से संबंधित प्रत्येक ज्ञात निर्यातक अथवा उत्पादक के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करेगा:

परंतु, जहाँ निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों अथवा वस्तुओं के प्रकारों की संख्या इतनी अधिक हो कि प्रत्येक के लिए ऐसा निर्धारण करना अव्यावहारिक हो, वहाँ प्राधिकारी उपलब्ध सूचना के आधार पर सांख्यिकीय रूप से वैध नमूने का उपयोग करते हुए अपने निष्कर्षों को इच्छुक पक्षकारों अथवा वस्तुओं की युक्तिसंगत संख्या तक सीमित कर सकता है, अथवा संबंधित देश से निर्यात की उस सबसे बड़ी मात्रा के प्रतिशत तक सीमित कर सकता है जिसकी युक्तिसंगत रूप से जाँच की जा सके। इस परंतुक के अंतर्गत निर्यातकों, उत्पादकों अथवा वस्तुओं के प्रकारों का चयन, जहाँ तक संभव हो, संबंधित निर्यातकों, उत्पादकों अथवा आयातकों से परामर्श तथा उनकी सहमति से किया जाएगा।

*परंतु यह भी कि, नामित प्राधिकारी ऐसे किसी निर्यातक अथवा उत्पादक के लिए भी अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करेगा, जिसे प्रारंभ में नमूने में चयनित नहीं किया गया था, परंतु जिसने समय पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत कर दी हो, सिवाय उस स्थिति के जहाँ निर्यातकों अथवा उत्पादकों की संख्या इतनी अधिक हो कि उनकी अलग-अलग जाँच करना अत्यधिक बोझिल हो और इससे जाँच को समय पर पूरा करना बाधित हो।”***

45. जाँच प्रारंभ होने के बाद विषय देश से 10 उत्पादकों और निर्यातकों ने भाग लिया तथा प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत किए। नीचे दी गई तालिका वर्तमान जाँच में भाग लेने वाले सभी उत्पादकों की निर्यात मात्रा दर्शाती है।

क्र. सं.	विवरण	मात्रा (एमटी में)
1	वूहू एस.एच.जेड इंडस्ट्रियल फैब्रिक कंपनी लिमिटेड	***
2	ओरिएंटल इंडस्ट्रीज (सूझोउ) लिमिटेड	***
3	जियांगसू ताइजी इंडस्ट्री न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	***
4	झेजियांग यूनिफॉल हाई-टेक इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	***
5	जियांगसू जियाहेंग फाइबर कंपनी लिमिटेड	***
6	चिंगझोउ शेंगबो न्यू प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड	***
7	चिंगदाओ चैनलानशिन बिजनेस एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, वूशी पॉलीमिको मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड तथा शूयी हुआचेंग इंडस्ट्रियल क्लॉथ कंपनी लिमिटेड	***

46. वर्तमान जाँच में भाग लेने वाली संस्थाओं की संख्या तथा जाँच और सत्यापन के लिए अपेक्षित सूचना की प्रकृति एवं व्यापकता को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने यह माना कि नियमावली के नियम 17(3) के अर्थ में सभी भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों की अलग-अलग जाँच करना युक्तिसंगत रूप से व्यावहारिक नहीं था।
47. कुछ इच्छुक पक्षकारों ने तर्क दिया है कि नमूना चयन, प्रत्येक पक्षकार की अलग-अलग जाँच किए जाने के सामान्य नियम का एक अपवाद है और इसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब बड़ी संख्या में इच्छुक पक्षकार होने के कारण सभी की जाँच करना अव्यावहारिक हो। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली का नियम 17(3) स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति में नमूना चयन की अनुमति देता है जहाँ उत्पादकों और निर्यातकों की संख्या इतनी अधिक हो कि सभी भाग लेने वाली संस्थाओं की अलग-अलग जाँच करना युक्तिसंगत रूप से व्यावहारिक न हो। वर्तमान मामले में चीन से दस उत्पादकों और निर्यातकों ने जाँच में पंजीकरण कराया और प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए। यहाँ परीक्षण इस बात का है कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अलग-अलग जाँच करना कितना व्यावहारिक और युक्तिसंगत है। केवल इस तथ्य से कि कुछ अन्य जाँचों में प्राधिकारी ने नमूना चयन नहीं किया था, नियम 17(3) के अंतर्गत उपलब्ध वैधानिक विवेकाधिकार सीमित नहीं होता। जाँच को वैधानिक

समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए अलग-अलग जाँच को युक्तिसंगत संख्या तक सीमित करना उचित माना गया।

48. इस आपत्ति के संबंध में कि पूर्ण प्रश्नावली उत्तर प्राप्त होने के बाद नमूना चयन नहीं किया जा सकता, यह नोट किया जाता है कि नियम 17(3) में ऐसा कोई निषेध नहीं है कि प्रश्नावली उत्तर दाखिल होने के बाद नमूना चयन नहीं किया जा सकता। नियम 17(3) का दूसरा परंतुक स्वयं यह स्वीकार करता है कि जहाँ निर्यातकों की संख्या इतनी अधिक हो कि प्रत्येक की अलग-अलग जाँच करना अत्यधिक बोझिल हो और इससे जाँच को समय पर पूरा करना बाधित हो, वहाँ व्यक्तिगत जाँच से इंकार किया जा सकता है। केवल प्रश्नावली उत्तर दाखिल कर देने से प्राधिकारी का वैधानिक विवेकाधिकार समाप्त नहीं हो जाता। जाँच 27 सितम्बर 2025 को प्रारंभ की गई थी तथा प्रश्नावली उत्तर 26 नवम्बर 2025 को दाखिल किए गए थे। प्रश्नावली उत्तर प्राप्त होने के बाद प्राधिकारी ने पाया कि उत्तरों की संख्या इतनी अधिक थी कि नमूना चयन किया जाना आवश्यक था। तदनुसार, प्राधिकारी ने नमूना चयन किया।
49. दिनांक 5 जनवरी 2026 को एक सूचना जारी की गई, जिसके माध्यम से इच्छुक पक्षकारों को नमूना चयन किए जाने के निर्णय से अवगत कराया गया। प्राधिकारी ने नमूने में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित उत्पादकों की सूची जारी की और इच्छुक पक्षकारों को अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए 7 दिन का समय दिया।
50. विभिन्न पक्षकारों से टिप्पणियाँ प्राप्त होने के बाद, दिनांक 10 फरवरी 2026 की सूचना के माध्यम से नमूने में चयनित उत्पादकों को अधिसूचित किया गया। नमूना भारत को किए गए निर्यात की मात्रा के आधार पर निर्धारित किया गया और सर्वाधिक निर्यात मात्रा वाले उत्पादकों को नमूने में शामिल किया गया। निम्नलिखित उत्पादकों को नमूने में चुना गया:
 - i. शूयी हुआचेंग इंडस्ट्रियल क्लॉथ कंपनी लिमिटेड, वूशी पॉलीमिको मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड तथा चिंगदाओ चेनलानशिन बिजनेस एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (समूह);
 - ii. चिंगझोउ शेंगबो न्यू प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड; तथा
 - iii. जियांगसू ताइजी इंडस्ट्री न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड।
51. नमूने में शामिल नहीं किए गए सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण नमूने में शामिल उत्पादकों के भारित औसत पाटन मार्जिन के आधार पर किया गया है। असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

च.3.2 चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

52. धारा 9A(1)(ग) के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से अभिप्रेत है:

i. उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित, निर्यातक देश अथवा क्षेत्र में उपभोग के लिए अभिप्रेत समान वस्तु की सामान्य व्यापार प्रक्रिया में तुलनीय कीमत; अथवा

ii. जहाँ निर्यातक देश अथवा क्षेत्र के घरेलू बाजार में समान वस्तु की सामान्य व्यापार प्रक्रिया में बिक्री नहीं होती है, अथवा विशिष्ट बाजार परिस्थिति या घरेलू बाजार में बिक्री की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्री उचित तुलना की अनुमति नहीं देती है, वहाँ सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से होगा:

(क) निर्यातक देश अथवा क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को निर्यात की जाने वाली समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत, जैसा कि उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया हो; अथवा

उत्पत्ति के देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत, जिसमें प्रशासनिक, बिक्री एवं सामान्य लागतों तथा लाभ के लिए युक्तिसंगत राशि जोड़ी गई हो, जैसा कि उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया हो।

(ख) परंतु, जहाँ वस्तु का आयात उत्पत्ति के देश से भिन्न किसी अन्य देश से किया जाता है और वस्तु केवल निर्यातक देश के माध्यम से ट्रांसशिप की गई हो, अथवा उस वस्तु का उत्पादन निर्यातक देश में नहीं किया जाता हो, अथवा निर्यातक देश में कोई तुलनीय कीमत उपलब्ध नहीं हो, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पत्ति के देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

53. चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 तथा पैरा 8 के निम्नलिखित प्रासंगिक प्रावधानों को नोट करता है:

“7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर, अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात की कीमत के आधार पर किया जाएगा। जहाँ ऐसा करना संभव न हो, वहाँ किसी अन्य युक्तिसंगत आधार पर, जिसमें भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तव में भुगतान की गई अथवा देय कीमत भी शामिल है, आवश्यकतानुसार युक्तिसंगत लाभ मार्जिन जोड़ते हुए उचित समायोजन करके सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन नामित प्राधिकारी द्वारा युक्तिसंगत तरीके से किया जाएगा। ऐसा करते समय संबंधित देश के विकास स्तर तथा संबंधित उत्पाद को ध्यान में रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध किसी विश्वसनीय सूचना का उचित संज्ञान लिया जाएगा।

जहाँ उपयुक्त हो, बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जाँच को भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर ध्यान में रखा जाएगा। जाँच के पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले उक्त तीसरे देश के चयन के संबंध में बिना अनुचित विलंब के सूचित किया जाएगा तथा उन्हें अपनी टिप्पणियाँ देने के लिए युक्तिसंगत समय दिया जाएगा।”

“8. (1) ‘गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश’ से अभिप्रेत ऐसा कोई देश है जिसे नामित प्राधिकारी यह निर्धारित करे कि वह लागत अथवा मूल्य निर्धारण संरचनाओं के संबंध में बाजार सिद्धांतों पर कार्य नहीं करता, जिसके कारण उस देश में वस्तुओं की बिक्री वस्तुओं के उचित मूल्य को प्रदर्शित नहीं करती, जैसा कि उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार निर्धारित किया जाए।

(2) यह उपधारणा होगी कि कोई भी देश, जिसे जाँच से पूर्व तीन वर्ष की अवधि के दौरान नामित प्राधिकारी अथवा किसी विश्व व्यापार संगठन सदस्य देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जाँच के प्रयोजन से गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित किया गया हो अथवा माना गया हो, वह गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है।

परंतु, ऐसा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश अथवा उस देश की संबंधित फर्में नामित प्राधिकारी को ऐसी सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर उक्त उपधारणा का खंडन कर सकती हैं, जिससे उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर यह स्थापित हो कि वह देश गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) नामित प्राधिकारी प्रत्येक मामले में यह निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेगा कि:

(क) संबंधित देश की फर्मों द्वारा कीमत, लागत तथा इनपुट, जिसमें कच्चा माल, प्रौद्योगिकी की लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्री और निवेश शामिल हैं, से संबंधित निर्णय आपूर्ति और माँग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों के आधार पर तथा इस संबंध में राज्य के महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के बिना लिए जाते हैं या नहीं, और क्या प्रमुख इनपुट की लागत पर्याप्त रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है;

(ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से चली आ रही महत्वपूर्ण विकृतियों से प्रभावित है या नहीं, विशेषकर

परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य राइट-ऑफ, वस्तु-विनिमय व्यापार तथा ऋणों के समायोजन के माध्यम से भुगतान के संबंध में;

(ग) ऐसी फर्में दिवालियापन तथा संपत्ति संबंधी ऐसे कानूनों के अधीन हैं या नहीं जो उनके संचालन के लिए विधिक निश्चितता तथा स्थिरता सुनिश्चित करते हों; और

(घ) विनिमय दर का रूपांतरण बाजार दर पर किया जाता है या नहीं।

परंतु, जहाँ इस पैरा में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य द्वारा यह प्रदर्शित किया जाता है कि पाटनरोधी जाँच के अधीन एक अथवा अधिक फर्मों के संबंध में बाजार परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, वहाँ नामित प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्धारित सिद्धांतों के स्थान पर पैरा 1 से 6 में निर्धारित सिद्धांतों को लागू कर सकता है।

(4) उप-पैरा (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, नामित प्राधिकारी किसी ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकता है, जिसे प्रासंगिक मानदंडों, जिनमें उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड भी शामिल हैं, के नवीनतम विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर किसी विश्व व्यापार संगठन सदस्य देश द्वारा पाटनरोधी जाँचों के प्रयोजन से बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना अथवा निर्धारित किया गया हो और ऐसा मूल्यांकन सार्वजनिक दस्तावेज में प्रकाशित किया गया हो।”

54. जाँच प्रारंभ करने के चरण में प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था (एनएमई) वाला देश मानने की उपधारणा के आधार पर कार्यवाही की। जाँच प्रारंभ होने पर प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों/निर्यातकों को जाँच प्रारंभ करने की सूचना का उत्तर देने तथा यह बताने के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उनके आँकड़ों/सूचना को अपनाया जा सकता है या नहीं। इस संबंध में प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य के सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार/पूरक प्रश्नावली की प्रतियाँ भेजीं ताकि वे प्रासंगिक सूचना उपलब्ध करा सकें।

55. विश्व व्यापार संगठन में चीन के अभिगमन प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 निम्नलिखित प्रावधान करता है:

“(क) GATT 1994 के अनुच्छेद VI तथा पाटनरोधी करार के अंतर्गत मूल्य तुलनीयता का निर्धारण करते समय, आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य जाँचाधीन उद्योग के लिए या तो चीनी कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा अथवा ऐसी पद्धति

का उपयोग करेगा जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ कठोर तुलना पर आधारित न हो, निम्नलिखित नियमों के अनुसार:

(i) यदि जाँचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित कर सकें कि समान उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में उस उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, तो आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य मूल्य तुलनीयता निर्धारित करने के लिए जाँचाधीन उद्योग की चीनी कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा;

(ii) यदि जाँचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित नहीं कर सकें कि समान उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में उस उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, तो आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ कठोर तुलना पर आधारित न हो।

(ख) एससीएम करार के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाही में, अनुच्छेद 14(a), 14(b), 14(c) और 14(d) में वर्णित सब्सिडी पर विचार करते समय एससीएम करार के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे। तथापि, यदि उनके अनुप्रयोग में विशेष कठिनाइयाँ उत्पन्न हों, तो आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य सब्सिडी लाभ की पहचान और माप के लिए ऐसी पद्धतियों का उपयोग कर सकता है जिनमें इस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित शर्तें और दशाएँ सदैव उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में उपलब्ध न हों। ऐसी पद्धतियों को लागू करते समय, जहाँ व्यावहारिक हो, आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य चीन के बाहर प्रचलित शर्तों और दशाओं के उपयोग पर विचार करने से पहले चीन में प्रचलित शर्तों और दशाओं में समायोजन करेगा।

(ग) आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार उपयोग की गई पद्धतियों की सूचना पाटनरोधी प्रथाओं संबंधी समिति को देगा तथा उप-पैरा (ख) के अनुसार उपयोग की गई पद्धतियों की सूचना सब्सिडी एवं प्रतिकारी उपाय समिति को देगा।

(घ) जब चीन, आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत, यह स्थापित कर देता है कि वह बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप-पैरा (क) के प्रावधान समाप्त हो जाएंगे, बशर्ते कि अभिगमन की तारीख को आयातक सदस्य के राष्ट्रीय कानून में बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड मौजूद हों। किसी भी स्थिति में उप-पैरा (क)(ii) के प्रावधान अभिगमन की तारीख से 15 वर्ष बाद समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यदि चीन आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसार यह स्थापित कर देता है कि किसी विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में बाजार

अर्थव्यवस्था की परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, तो उप-पैरा (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे।”

56. यह नोट किया जाता है कि विश्व व्यापार संगठन के अभिगमन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11 दिसम्बर 2016 को समाप्त हो गए हैं। तथापि, विश्व व्यापार संगठन पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 को अभिगमन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पढ़ने पर, बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दावा किए जाने की स्थिति में नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंडों को पूरक प्रश्नावली में उपलब्ध कराई गई सूचना/आँकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाना आवश्यक है।
57. यह नोट किया जाता है कि नियमावली के अनुबंध-1 का पैरा 7 गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए सामान्य मूल्य के निर्माण की तीन पद्धतियाँ निर्धारित करता है: (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर; (ख) किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत के आधार पर; तथा (ग) किसी अन्य युक्तिसंगत आधार पर। प्राधिकारी नोट करता है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण पहले बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी स्थानापन्न देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर, अथवा ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात की कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए। केवल तब, जब ऐसा आधार उपलब्ध न हो अथवा संभव न हो, प्राधिकारी सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी अन्य युक्तिसंगत आधार पर कर सकता है, जिसमें भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा देय कीमत भी शामिल है।
58. यह नोट किया जाता है कि नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 में गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य मूल्य के परिकलन की तीन पद्धतियाँ निर्धारित की गई हैं: (क) किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर; (ख) किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत; और (ग) किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अंतर्गत, सामान्य मूल्य का निर्धारण सर्वप्रथम किसी सरोगेट देश में कीमत अथवा परिकलित मूल्य, अथवा ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को किए गए निर्यातों की कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए। तथापि, जब ऐसा आधार संभव न हो, केवल तभी प्राधिकारी भारत में भुगतान की गई अथवा देय कीमत सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं।

59. प्राधिकारी नोट करता है कि न तो आवेदक और न ही किसी अन्य इच्छुक पक्षकार ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में उत्पाद की लागत अथवा कीमत से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई है। जहाँ तक बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की कीमत का संबंध है, यह देखा गया है कि वर्तमान जाँच में पीसीएन निर्धारित किए गए हैं। अतः विचाराधीन उत्पाद के समग्र व्यापार आँकड़ों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से भरोसा नहीं किया जा सकता।
60. उपयोगकर्ता उद्योग ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई उत्पादन प्रौद्योगिकी चीन के उत्पादकों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी से भिन्न है और इसलिए सामान्य मूल्य निर्धारित करते समय उचित समायोजन किया जाना चाहिए। तथापि, प्राधिकारी नोट करता है कि उपयोगकर्ता उद्योग ने अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य अथवा सूचना प्रस्तुत नहीं की है जिससे उत्पादन प्रौद्योगिकी में ऐसे कथित अंतर के अस्तित्व तथा उसके प्रभाव को स्थापित किया जा सके। भाग लेने वाले चीनी उत्पादकों ने भी न तो उत्पादन प्रौद्योगिकी में अंतर का दावा किया है और न ही ऐसे किसी अंतर तथा सामान्य मूल्य पर उसके प्रभाव को दर्शाने वाला कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया है। ऐसे किसी साक्ष्य के अभाव में जो यह दर्शाता हो कि कथित अंतर लागत संरचना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, समायोजन का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। तदनुसार, उत्पादन प्रौद्योगिकी में अंतर के आधार पर किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं मानी गई है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करता है कि नियमावली के अनुसार, जहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी अन्य आधार पर नहीं किया जा सकता, वहाँ उसका निर्धारण भारत में भुगतान की गई अथवा देय कीमत के आधार पर किया जाना आवश्यक है।
61. चूँकि इच्छुक पक्षकारों ने इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, प्राधिकारी ने भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है, जिसमें भारत में उत्पादन लागत तथा युक्तिसंगत लाभ को ध्यान में रखा गया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है, जिसमें आवश्यक समायोजन करने के बाद बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा युक्तिसंगत लाभ को जोड़ा गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

च.3.3 निर्यात कीमत

62. प्राधिकारी नोट करता है कि वर्तमान जाँच में बड़ी संख्या में उत्पादकों और व्यापारियों द्वारा उत्तर प्रस्तुत किए जाने को देखते हुए, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 17(3) के अनुसार निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों का नमूना चयन किया है:

i. शूयी हुआचेंग इंडस्ट्रियल क्लॉथ कंपनी लिमिटेड, वूशी पॉलीमिको मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड तथा चिंगदाओ चेनलानशिन बिजनेस एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (समूह)

63. शूयी हुआचेंग इंडस्ट्रियल क्लॉथ कंपनी लिमिटेड ने चीन जनवादी गणराज्य में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक के रूप में प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है। जाँच अवधि के दौरान उत्पादक ने घरेलू बाजार में असंबद्ध पक्षकारों को संबद्ध वस्तु की *** एमटी मात्रा, *** अमेरिकी डॉलर के चालान मूल्य पर बेची है। घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।
64. उत्पादक ने जाँच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में *** एमटी मात्रा तथा *** अमेरिकी डॉलर मूल्य की बिक्री की सूचना दी है। आयात मात्रा का DG Systems के आयात आँकड़ों से भी मिलान किया गया है। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने भारत को उत्पाद का निर्यात प्रत्यक्ष रूप से तथा अपने व्यापारियों के माध्यम से, दोनों प्रकार से किया है। उत्पादक के व्यापारियों ने भी जाँच में भाग लिया है। उत्पादक ने अंतर्देशीय मालभाड़ा, पैकिंग व्यय तथा ऋण लागत के आधार पर समायोजन का दावा किया है, जिन्हें डेस्क सत्यापन के बाद स्वीकार किया गया है।

ii. चिंगझोउ शेंगबो न्यू प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड

65. चिंगझोउ शेंगबो न्यू प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड ने चीन जनवादी गणराज्य में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक के रूप में प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है। जाँच अवधि के दौरान उत्पादक ने घरेलू बाजार में असंबद्ध पक्षकारों को संबद्ध वस्तु की *** एमटी मात्रा, *** अमेरिकी डॉलर के चालान मूल्य पर बेची है। घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।
66. उत्पादक ने जाँच अवधि के दौरान भारत को 2,272 मीट्रिक टन विचाराधीन उत्पाद के निर्यात की सूचना दी है, जिसका मूल्य 44,21,913 अमेरिकी डॉलर है (आयात की मात्रा का सत्यापन डीजी सिस्टम्स के आयात आँकड़ों से किया गया है)। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने विचाराधीन उत्पाद का भारत को सीधे निर्यात किया है। उत्पादक के व्यापारियों ने भी जाँच में भाग लिया है। उत्पादक ने अंतर्देशीय मालभाड़ा, पैकिंग व्यय तथा ऋण लागत के संबंध में समायोजन का दावा किया है, जिसे डेस्क सत्यापन के उपरांत स्वीकार कर लिया गया है।

iii. जियांगसू ताइजी इंडस्ट्री न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड

67. जियांगसू ताइजी इंडस्ट्री न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड ने चीन जनवादी गणराज्य में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक के रूप में प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है। जाँच अवधि के दौरान उत्पादक ने घरेलू बाजार में असंबद्ध पक्षकारों को संबद्ध वस्तु की *** एमटी मात्रा, *** अमेरिकी डॉलर के चालान मूल्य पर बेची है। घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।
68. उत्पादक ने जाँच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में *** एमटी मात्रा तथा *** अमेरिकी डॉलर मूल्य की बिक्री की सूचना दी है। (आयात की मात्रा का सत्यापन डीजी सिस्टम्स के आयात आँकड़ों से किया गया है)। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने विचाराधीन उत्पाद का भारत को सीधे निर्यात किया है। उत्पादक के व्यापारियों ने भी जाँच में भाग लिया है। उत्पादक ने अंतर्देशीय मालभाड़ा, पैकिंग व्यय तथा ऋण लागत के संबंध में समायोजन का दावा किया है, जिसे डेस्क सत्यापन के उपरांत स्वीकार कर लिया गया है।

iv. नमूने में शामिल न किए गए सहयोगी उत्पादक/निर्यातक

69. नमूने में शामिल न किए गए सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई नमूना चयन पद्धति के अनुसार किया गया है। ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन, प्राधिकारी द्वारा उचित माने गए अनुसार, नमूने में शामिल सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित भारित औसत पाटन मार्जिन के आधार पर माना गया है। नमूने में शामिल न किए गए, परंतु सहयोगी उत्पादकों की सूची अंतिम जाँच परिणामों के साथ दी गई है।

v. असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

70. चीन जनवादी गणराज्य के शेष उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग प्राप्त न होने के कारण, प्राधिकारी ने असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निवल निर्यात कीमत का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया है। इस प्रकार निर्धारित एक्स-फैक्ट्री निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

च.3.4 पाटन मार्जिन

71. ऊपर निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, विषय देश से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

क्र. सं.	विवरण	सामान्य मूल्य (\$/एमटी)	निवल निर्यात	पाटन मार्जिन (\$/एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	रेंज
----------	-------	-------------------------	--------------	------------------------	------------------	------

			कीमत (\$/एमटी)			
1	शूयी हुआचेंग इंडस्ट्रियल क्लॉथ कंपनी लिमिटेड, वूशी पॉलीमिको मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड तथा चिंगदाओ चेनलानशिन बिजनेस एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (समूह)	***	***	***	***	60-70
2	चिंगझोउ शेंगबो न्यू प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	40-50
3	जियांगसू ताइजी इंडस्ट्री न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
4	नमूने में शामिल न किए गए उत्पादक	***	***	***	***	40-50
5	अन्य सभी उत्पादक	***	***	***	***	210-220

72. यह देखा गया है कि विषय देश से नमूने में शामिल सभी उत्पादकों/निर्यातकों का पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

छ क्षति एवं कारणात्मक संबंध का आकलन

छ.1 अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

73. विरोध करने वाले इच्छुक पक्षकारों ने क्षति एवं कारणात्मक संबंध के आकलन के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:
- क्षति अवधि के दौरान आयात में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है।
 - घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी संकेतक सकारात्मक रहे हैं।
 - स्थापित क्षमता में वृद्धि से घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री में सुधार करने में सहायता मिली है।
 - जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।
 - आयात घरेलू उद्योग की क्षति-रहित कीमत से अधिक कीमत पर हो रहे हैं।
 - आवेदक के भंडार में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो यह दर्शाती है कि वह आयातों से किसी कठिनाई का सामना किए बिना अपने स्टॉक की बिक्री करने में सक्षम है।

- vii. पाटनरोधी आयात की उतराई कीमत में गिरावट कच्चे माल की कीमतों में गिरावट के कारण हुई है। बेल्टिंग फैब्रिक की आयात कीमत ₹186.13 प्रति किलोग्राम थी, जबकि 2024-25 में यह ₹171.34 प्रति किलोग्राम थी, जो केवल 6.44% प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्शाती है।
- viii. आवेदक की लाभप्रदता में गिरावट उसके अपने आंतरिक लागत ढाँचे तथा परिचालन अक्षमताओं के कारण है, न कि पाटित आयातों के कारण।
- ix. घरेलू बिक्री में और अधिक वृद्धि हुई है और क्षति अवधि के दौरान यह 100 से बढ़कर 129 सूचकांक अंक हो गई है।
- x. वित्तीय संकेतक दर्शाते हैं कि लाभप्रदता में गिरावट का सीधा संबंध निवेश से संबंधित लागतों से है।
- xi. प्राधिकारी को 22% ROCE की स्थिर पद्धति पर पुनर्विचार करना चाहिए और उन अवधियों में घरेलू उद्योग की वास्तविक ऐतिहासिक लाभप्रदता के आधार पर युक्तिसंगत प्रतिफल अपनाना चाहिए, जिनमें पाटन का आरोप नहीं था।
- xii. वर्ष 2018 की पिछली जाँच में प्रमुख क्षति संकेतकों के रुझान वर्तमान आवेदन में आवेदक द्वारा प्रस्तुत क्षति संकेतकों के समान थे। उस जाँच में प्राधिकारी ने उपायों की सिफारिश नहीं की थी।
- xiii. घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत अधिक है क्योंकि विभिन्न उत्पादों का उत्पादन एक ही उत्पादन लाइन पर किया जाता है।
- xiv. घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि तथा लाभप्रदता में गिरावट, मूल्यहास और ब्याज में वृद्धि के कारण है।
- xv. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति (NSR) क्षति-रहित कीमत (एनआईपी) से काफी अधिक है।
- xvi. बेल्टिंग फैब्रिक की पिछली जाँच कारणात्मक संबंध के अभाव में समाप्त कर दी गई थी। वर्तमान मामले के तथ्य पिछली जाँच के समान हैं और इसलिए वर्तमान जाँच को भी समाप्त किया जाना चाहिए।
- xvii. एक ओर घरेलू उद्योग ने चीन से बेल्टिंग फैब्रिक के आयात के कारण लाभप्रदता में भारी गिरावट का आरोप लगाया है, जबकि दूसरी ओर वह अपनी उत्पादन क्षमता को लगभग 70% से 100% तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त पूंजीगत निवेश कर रहा है।
- xviii. अधिकांश बेल्टिंग फैब्रिक निर्माताओं के विपरीत, एसआरएफ के पास कैप्टिव यार्न विनिर्माण सुविधाएँ हैं और यार्न जैसे कच्चे माल की लागत आवेदक समूह के भीतर यार्न की ट्रांसफर प्राइसिंग पर आधारित है, जो पारदर्शी नहीं है और बाजार अनुशासन के अधीन नहीं है।

- xix. घरेलू उद्योग को छोड़कर अन्य सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादन की मात्रा और मूल्य को गोपनीय बताया गया है।
- xx. घरेलू उद्योग की 2021-22 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदर्शन असाधारण था। अतः आधार वर्ष के साथ तुलना उचित नहीं होगी।
- xxi. घरेलू उद्योग ने 2022-23 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि यद्यपि “चीन से सस्ते आयात एक चुनौती बने रहे”, तथापि बेल्टिंग फैब्रिक खंड उच्च-स्तरीय मूल्य-वर्धित उत्पादों (VAPs) की बिक्री में वृद्धि तथा टियर-2 ग्राहकों को बिक्री बढ़ने के कारण काफी हद तक इसके प्रभाव से बचा रहा।
- xxii. पॉलिएस्टर और नायलॉन यार्न की कीमतों में अस्थिरता तथा लगातार वृद्धि, जो प्रमुख कच्चे माल हैं, ने उत्पादन लागत और मार्जिन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
- xxiii. आयातित फैब्रिक की तुलना में एसआरएफ को कम डिलीवरी समय का लाभ प्राप्त है।
- xxiv. एसआरएफ की घरेलू बिक्री का आधे से अधिक हिस्सा कुछ बड़े बेल्ट निर्माताओं को होता है, जो गुणवत्ता की उपयुक्तता तथा टैंडर की अनिवार्य शर्तों के कारण एसआरएफ फैब्रिक का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं।
- xxv. कई पीएसयू टैंडरों में कन्वेयर बेल्ट की खरीद के लिए एसआरएफ फैब्रिक के उपयोग की स्पष्ट शर्त होती है। ऐसी अनिवार्य शर्तों के कारण एसआरएफ को सुनिश्चित माँग आधार प्राप्त है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

74. घरेलू उद्योग ने क्षति एवं कारणात्मक संबंध के आकलन के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:
- i. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध उत्पाद की माँग में वृद्धि हुई है।
 - ii. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण अपनी बिक्री का महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया। ग्राहकों को बनाए रखने के लिए आवेदक को कीमतों में समझौता करना पड़ा।
 - iii. घरेलू उद्योग को कीमत संबंधी संकेतकों में गंभीर क्षति हुई है और घरेलू उद्योग की वर्तमान लाभप्रदता अस्थिर स्तर पर है।
 - iv. कच्चे माल की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि आयात कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
 - v. जाँच अवधि के दौरान मूल्य कटौती अत्यधिक सकारात्मक थी।
 - vi. पाटित आयातों द्वारा की गई अत्यधिक मूल्य कटौती तथा लागत कटौती स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि कीमतों में दबाव पाटित आयातों के कारण हुआ है।

- vii. आवेदक ने घरेलू तथा निर्यात बाजार दोनों में उत्पाद की बढ़ती माँग को देखते हुए अपनी क्षमता का विस्तार किया है।
- viii. भारतीय उद्योग के पास संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान उपभोक्ताओं की पूरी माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता थी, किंतु आवेदक तथा अन्य उत्पादक की बाजार हिस्सेदारी केवल ***% तक सीमित रही।
- ix. जाँच अवधि के दौरान आवेदक का भंडार बढ़ा है।
- x. आवेदक द्वारा अर्जित निवेश पर प्रतिफल बैंक की प्रतिफल दर से कम है।
- xi. जाँच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की माँग में मामूली गिरावट आई है क्योंकि कन्वेयर बेल्ट के निर्यात में कमी आई है। तथापि, निकट भविष्य में माँग बढ़ने की अपेक्षा है।
- xii. क्षति अवधि के दौरान बिक्री लागत में वृद्धि हुई है, जबकि आयातों की उतराई कीमत में गिरावट आई है। आयातों की उतराई कीमत और घरेलू उद्योग की लागत के बीच का अंतर क्षति अवधि के दौरान लगातार बढ़ा है।
- xiii. निष्क्रिय करघों तथा पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता के कारण परिचालन बनाए रखने के लिए घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कम करने के लिए विवश होना पड़ा।
- xiv. पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक और महत्वपूर्ण है।
- xv. क्षति-रहित कीमत के निर्धारण के उद्देश्य से 22% नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (ROCE) अपनाना प्राधिकारी की लगातार और सुव्यवस्थित प्रथा रही है।
- xvi. इच्छुक पक्षकार द्वारा 22% ROCE को अस्वीकार करने के समर्थन में उद्धृत माननीय CESTAT का निर्णय ह्योसंग कॉरपोरेशन बनाम नामित प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली में अनुबंध-III के समावेशन से पूर्व का है।
- xvii. इच्छुक पक्षकार द्वारा 22% ROCE को अस्वीकार करने के समर्थन में उद्धृत माननीय CESTAT के ब्रिजस्टोन मामले के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उस मामले में इच्छुक पक्षकारों ने माननीय CESTAT के समक्ष विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, जिनके आधार पर उस विशेष मामले में प्राधिकारी की स्थापित प्रथा से अलग हटना उचित ठहराया गया था। वर्तमान जाँच में किसी भी इच्छुक पक्षकार ने ऐसा कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है।
- xviii. अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कि उतराई कीमत में गिरावट कच्चे माल की लागत में कमी के कारण हुई है, घरेलू उद्योग ने कहा है कि जहाँ लागत लगभग ₹*** प्रति एमटी कम हुई है, वहीं आयात कीमत ₹*** प्रति एमटी तक घटी है।

- xix. अन्य इच्छुक पक्षकारों की प्रस्तुति के संबंध में यह कहा गया है कि क्षमता विस्तार का निर्णय उस समय लिया गया था जब आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं था। क्षमता विस्तार 2022-23 में किया गया, जब घरेलू उद्योग पर्याप्त लाभ अर्जित कर रहा था।
- xx. अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता उसके आंतरिक लागत ढाँचे तथा ट्रांसफर प्राइसिंग संबंधी मुद्दों से प्रभावित हुई है, घरेलू उद्योग ने कहा है कि कच्चे माल के संबंध में उसकी मूल्य निर्धारण रणनीति पूरी क्षति अवधि के दौरान समान रही है। यदि घरेलू उद्योग को इन कारकों के कारण क्षति हुई होती, तो पूर्व अवधियों में भी उसका प्रदर्शन प्रतिकूल होता।
- xxi. अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कि 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में असाधारण प्रदर्शन का उल्लेख है, घरेलू उद्योग ने कहा है कि वार्षिक रिपोर्ट में ऐसा कोई कथन नहीं है कि 2021-22 का प्रदर्शन असाधारण था। घरेलू उद्योग ने केवल यह कहा है कि प्रदर्शन में मात्रा की दृष्टि से उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो मामले के तथ्यों से भी समर्थित है।
- xxii. इच्छुक पक्षकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कि एसआरएफ का उत्पाद विभिन्न पीएसयू टैंडरों में अनुमोदित है, यह कथन स्वयं दर्शाता है कि एसआरएफ द्वारा उत्पादित उत्पाद को बाजार में व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त है और वह डाउनस्ट्रीम उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त विविधता वाले उत्पादों का उत्पादन करता है। घरेलू उद्योग विभिन्न पीएसयू टैंडरों में अपेक्षित विविध विनिर्देशों के अनुरूप फैब्रिक का उत्पादन करने में सक्षम है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

- 75. पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 को अनुबंध-II के साथ पढ़ने पर यह प्रावधान है कि क्षति का निर्धारण उन कारकों की जाँच पर आधारित होगा जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संकेत दे सकते हैं, अर्थात् *“... सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव तथा ऐसे आयातों का ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव शामिल है...”*¹ पाटित आयातों के कीमतों पर प्रभाव पर विचार करते समय यह जाँचना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में महत्वपूर्ण मूल्य कटौती हुई है, अथवा ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक दबाने या उन मूल्य-वृद्धियों को महत्वपूर्ण सीमा तक रोकने का रहा है, जो अन्यथा हुई होतीं। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों

के प्रभाव की जाँच के लिए, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले संकेतकों, जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि पर विचार किया गया है।

क्षमता विस्तार के कारण प्रदर्शन में गिरावट

76. विरोध करने वाले इच्छुक पक्षकारों ने कहा है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति उसके द्वारा किए गए क्षमता विस्तार के कारण है। यह तर्क दिया गया है कि क्षमता विस्तार में वृद्धि से मूल्यह्रास लागत और वित्तीय लागत में वृद्धि होना स्वाभाविक है। प्राधिकारी का विचार है कि नीचे दिए गए क्षति विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के नकद लाभ तथा ब्याज से पूर्व लाभ में भी गिरावट आई है। जहाँ नकद लाभ तथा ब्याज और कर से पूर्व लाभ में भी गिरावट हुई हो, वहाँ घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में गिरावट को क्षमता विस्तार के कारण नहीं माना जा सकता।

पीएसयू टेंडरों में एसआरएफ फैब्रिक का स्पष्ट उल्लेख तथा कुछ बड़े बेल्ट निर्माताओं को बिक्री के कारण बिक्री में वृद्धि

77. विरोध करने वाले इच्छुक पक्षकारों ने कहा है कि घरेलू उद्योग की बिक्री इसलिए बढ़ी क्योंकि बड़े बेल्ट निर्माता एसआरएफ फैब्रिक का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं तथा पीएसयू टेंडरों में एसआरएफ फैब्रिक के उपयोग का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। प्राधिकारी नोट करता है कि इच्छुक पक्षकार ने परस्पर विरोधी तर्क प्रस्तुत किए हैं। एक ओर यह नहीं कहा जा सकता कि तकनीकी उपयुक्तता के कारण पीएसयू टेंडरों में एसआरएफ फैब्रिक का उपयोग अनिवार्य रूप से निर्धारित किया जाता है और बड़ी कंपनियाँ स्थिरता जैसे कारणों से घरेलू उद्योग से उत्पाद खरीदती हैं, और दूसरी ओर यह आरोप लगाया जाए कि घरेलू उद्योग के पास आवश्यक उत्पाद श्रृंखला के उत्पादन की क्षमता नहीं है तथा उसके उत्पाद में दोष हैं।
78. प्राधिकारी नोट करता है कि पीएसयू टेंडरों में अनिवार्य शर्तों के कारण घरेलू उद्योग को सुनिश्चित माँग आधार उपलब्ध होने के बावजूद आयातों में वृद्धि का रुझान देखा गया। यह स्वयं पाटित आयातों के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाता है। यदि पीएसयू की माँग को अलग कर दिया जाए, तो आयातों से प्रतिस्पर्धा के कारण शेष माँग में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी काफी कम होती। इससे स्पष्ट है कि सुनिश्चित पीएसयू माँग की उपलब्धता भी घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से हुई क्षति से बचा नहीं सकी। जहाँ तक इस प्रस्तुति का संबंध है कि घरेलू उद्योग केवल कुछ बड़े बेल्ट निर्माताओं को ही आपूर्ति करता है, प्राधिकारी नोट करता

है कि घरेलू उद्योग ने जाँच अवधि का अपना बिक्री रजिस्टर प्रस्तुत किया है, जिससे केवल इस अवधि में ही 70 से अधिक ग्राहकों को बिक्री दिखाई देती है। इच्छुक पक्षकार ऐसा कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं बता सके हैं जहाँ घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक व्यवहार्यता के कारणों को छोड़कर किसी पक्षकार को बिक्री करने से इंकार किया हो।

पिछली जाँच से तुलना, जिसमें जाँच समाप्त कर दी गई थी

79. विरोध करने वाले इच्छुक पक्षकारों ने कहा है कि वर्तमान जाँच में घरेलू उद्योग के आर्थिक संकेतकों का रुझान पिछली जाँच के रुझान के समान है, जिसमें क्षति और कारणात्मक संबंध के अभाव में जाँच समाप्त कर दी गई थी। प्राधिकारी नोट करता है कि उसे वर्तमान जाँच से संबंधित तथ्यों, साक्ष्यों और आँकड़ों के आधार पर क्षति की जाँच करनी है। केवल यह तथ्य कि समान अथवा मिलते-जुलते उत्पाद से संबंधित किसी पूर्व जाँच में पाटनरोधी उपायों की सिफारिश नहीं की गई थी, अपने आप में यह अर्थ नहीं रखता कि वर्तमान जाँच में भी उपायों की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए। प्रत्येक जाँच अपने स्वयं के तथ्यों पर आधारित होती है और उसका स्वतंत्र रूप से आकलन किया जाना आवश्यक है, जिसमें उस जाँच में प्राधिकारी के अभिलेख पर उपलब्ध विशिष्ट तथ्य, बाजार परिस्थितियाँ तथा आँकड़े ध्यान में रखे जाते हैं। यह भी नोट किया गया है कि दोनों जाँचों के आँकड़ों में परिलक्षित रुझान अलग हैं और उनकी समानता नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, पिछली जाँच में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2013-14 और 2014-15 में बढ़ती हुई दिखाई दी, उसके बाद 2015-16 में गिरावट आई और तत्पश्चात उस मामले की जाँच अवधि में सुधार हुआ। इसके विपरीत, वर्तमान जाँच में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2022-23 में घटी, 2023-24 में सुधार हुआ और उसके बाद वर्तमान मामले की जाँच अवधि में उसमें महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई।
80. यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रत्येक जाँच की उसके अपने तथ्यों और गुण-दोष के आधार पर जाँच और निर्णय किया जाना चाहिए। किसी पूर्ववर्ती जाँच में प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई निष्कर्ष अथवा निर्णय बाद की जाँच में यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता अथवा बाध्यकारी पूर्वदृष्टांत के रूप में नहीं माना जा सकता, विशेष रूप से तब, जब वर्तमान मामले की भांति, आधारभूत आँकड़े और प्रवृत्तियाँ स्पष्ट रूप से भिन्न हों। तदनुसार, यह तर्क कि पूर्ववर्ती जाँच में उपाय अधिरोपित न किए जाने की स्थिति को वर्तमान जाँच के परिणाम का मार्गदर्शन करना चाहिए, भ्रांतिपूर्ण है और इसे अस्वीकार किया जाता है।

वार्षिक रिपोर्टों में किए गए कथन।

81. हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्टों में किए गए उन कथनों पर भरोसा किया है जिनमें अच्छे निष्पादन को दर्शाया गया है। तथापि, वे कथन मुख्यतः जांच अवधि से पूर्व की अवधियों से संबंधित हैं, जबकि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान क्षति का दावा किया है। अतः ऐसे कथन अपने आप में यह स्थापित नहीं कर सकते कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई। वास्तव में, पूर्ववर्ती वर्षों में अच्छा निष्पादन और उसके पश्चात जांच अवधि के दौरान गिरावट, क्षति के दावे का समर्थन कर सकती है। प्राधिकारी से अपेक्षित है कि वह पूर्ववर्ती वर्षों के निरपेक्ष निष्पादन से संबंधित पृथक कथनों के बजाय संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन की प्रवृत्ति की जांच करे। तदनुसार, वार्षिक रिपोर्टों में किए गए कथन जांच अवधि के दौरान देखी गई गिरावट को निष्प्रभावी नहीं करते हैं।

एक ही उत्पादन लाइन पर विभिन्न उत्पादों के उत्पादन के कारण घरेलू उद्योग की आंतरिक लागत संरचना के फलस्वरूप उसकी उत्पादन लागत अधिक है।

82. हितबद्ध पक्षकारों की इस प्रस्तुति के संबंध में कि घरेलू उद्योग की लागत उसकी आंतरिक लागत संरचना के कारण अधिक है, समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग के आंकड़ों का सत्यापन किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के मूल्य निर्धारण का दृष्टिकोण संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान एकसमान रहा है और क्षति अवधि के दौरान समान लागत निर्धारण पद्धति लागू की गई है। प्राधिकारी यह मानता है कि अनुच्छेद 3.5 जांच प्राधिकारियों से उन विशेषताओं के संबंध में गैर-आरोपण विश्लेषण करने की अपेक्षा नहीं करता है जो घरेलू उद्योग में अंतर्निहित हैं और जो क्षति अवधि के दौरान अपरिवर्तित रही हैं। इस दृष्टिकोण का समर्थन डब्ल्यूटीओ पैनल द्वारा *ईयू-बायोडीजल (अर्जेंटीना)* में भी किया गया है। पूर्ववर्ती वर्षों में घरेलू उद्योग का निष्पादन बेहतर था, जबकि जांच अवधि में लाभप्रदता में गिरावट आई। यदि आंतरिक लागत संरचना ही हुई क्षति के लिए उत्तरदायी होती, तो घरेलू उद्योग का निष्पादन पूर्ववर्ती वर्षों में भी प्रभावित हुआ होता।

आयात कीमत में गिरावट कच्ची सामग्री की कीमतों में गिरावट के कारण है।

83. विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकारों ने यह रेखांकित किया है कि चीन से आयात कीमत में गिरावट कच्ची सामग्री की कीमतों में गिरावट के कारण हुई है। घरेलू उद्योग ने ईई ग्रेड की आयात कीमत और कच्ची सामग्री की कीमत की तुलना प्रस्तुत की है, जो नीचे दी गई है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि

1	पॉलिएस्टर औद्योगिक यार्न की कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***
2	पिछले वर्ष से परिवर्तन			16,591	-15,415	6,626
3	पहुंच मूल्य	रु./मी.टन	1,95,099	1,96,343	1,73,254	1,63,762
4	आधार वर्ष से परिवर्तन			1,245	-23,090	-9,492

84. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के समग्र परिप्रेक्ष्य में कच्ची सामग्री की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि आयात कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आई है। यहां तक कि तत्काल पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में भी, जांच अवधि में पहुंच मूल्य में गिरावट आई है, जबकि उसी अवधि में आगत कीमत में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि, जैसा कि नीचे क्षति जांच में परीक्षण किया गया है, क्षति अवधि के दौरान आयातों के पहुंच मूल्य और बिक्री लागत के बीच अंतर लगातार बढ़ा है, क्योंकि पहुंच मूल्य में गिरावट आई है और बिक्री लागत में वृद्धि हुई है।

नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिफल

85. विरोध करने वाले इच्छुक पक्षकारों ने क्षति-रहित कीमत की गणना के लिए नियोजित पूंजी पर स्थिर 22% प्रतिफल की पद्धति पर पुनर्विचार करने तथा पाटन के आरोपों से मुक्त अवधियों में घरेलू उद्योग द्वारा वास्तव में अर्जित नियोजित पूंजी पर प्रतिफल को युक्तिसंगत प्रतिफल के बेंचमार्क के रूप में अपनाने का अनुरोध किया है। इच्छुक पक्षकारों ने माननीय CESTAT के ब्रिजस्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग एवं अन्य बनाम नामित प्राधिकारी तथा एम/एस हयोसंग कॉरपोरेशन बनाम नामित प्राधिकारी के निर्णयों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी नोट करता है कि नियमावली के अनुबंध-III में नियोजित पूंजी पर युक्तिसंगत कर-पूर्व प्रतिफल का उल्लेख है और घरेलू उद्योग की क्षति-रहित कीमत निर्धारित करने के लिए नियोजित पूंजी पर 22% युक्तिसंगत प्रतिफल अपनाना प्राधिकारी की निरंतर प्रथा रही है। वर्तमान मामले में अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्थापित हो कि 22% से कम प्रतिफल इस मामले के लिए उचित होगा। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि इच्छुक पक्षकारों द्वारा उद्धृत अधिकरण के निर्णयों के बाद के मामलों में भी अधिकरण ने मेरिनो पैनल प्रोडक्ट्स बनाम नामित प्राधिकारी तथा

एम/एस पस्टॉर्प केमिकल्स GmbH एवं अन्य बनाम नामित प्राधिकारी एवं अन्य में नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिफल लागू करने की प्राधिकारी की पद्धति को कायम रखा है। अतः प्राधिकारी घरेलू उद्योग की क्षति-रहित कीमत की गणना के लिए नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिफल की पद्धति अपनाना उचित मानता है।

86. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में इच्छुक पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों और प्रतितर्कों की जाँच की है। नीचे किया गया विश्लेषण इच्छुक पक्षकारों द्वारा की गई विभिन्न प्रस्तुतियों का समाधान करता है।

क माँग/प्रत्यक्ष खपत का आकलन

87. वर्तमान जाँच के उद्देश्य से भारत में उत्पाद की माँग अथवा प्रत्यक्ष खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, समर्थक उत्पादकों की बिक्री तथा सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार आकलित माँग नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

क्र. सं.	विवरण (PUC)	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	112	115	129
2	समर्थक उत्पादक की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	121	120	89
3	विषय देश से आयात	एमटी	7,194	6,323	9,889	8,206
4	अन्य देशों से आयात	एमटी	38	-	5	-
5	भारत में कुल माँग	एमटी	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	104	125	113

88. प्राधिकारी नोट करता है कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की माँग में वृद्धि हुई है।

छ.3.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

89. आयात की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि विषय देश से पाटित आयातों में, पूर्ण रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में, कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं। इसका विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में किया गया है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
1	चीन जनवादी गणराज्य से आयात	एमटी	7,194	6,323	9,889	8,206
2	विषय देश से आयात का अनुपात					
3	भारतीय माँग के संबंध में	%	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	84	110	101
4	भारतीय उत्पादन के संबंध में	%	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	79	125	106
5	कुल आयात में हिस्सेदारी	%	99.48%	100.00%	99.95%	100.00%

90. प्राधिकारी नोट करता है कि विषय देश से आयात की मात्रा 2022-23 में घटी, 2023-24 में बढ़ी और जाँच अवधि में पुनः घटी। तथापि, पूरी क्षति अवधि में आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। आयात में आई गिरावट माँग में कमी तथा घरेलू उद्योग द्वारा किए गए क्षमता विस्तार के कारण है।
91. यह भी देखा गया है कि उत्पादन और खपत की तुलना में आयात 2022-23 में घटा, 2023-24 में बढ़ा और जाँच अवधि में पुनः घटा। भारतीय उद्योग के पास देश की पूरी माँग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद आयातों की भारतीय माँग में लगभग ***% हिस्सेदारी है। भारत में खपत की तुलना में आयात की मात्रा काफी महत्वपूर्ण है।

छ.3.2 पाटित आयातों का मूल्य प्रभाव

92. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या कथित पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में महत्वपूर्ण मूल्य कटौती हुई है, अथवा ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को दबाने या उन मूल्य-वृद्धियों को रोकने का रहा है जो सामान्य परिस्थितियों में अन्यथा हुई होतीं। विषय देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जाँच मूल्य कटौती, मूल्य ह्रास तथा मूल्य दमन, जहाँ लागू हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (NSR) तथा क्षति-रहित कीमत

(एनआईपी) की तुलना विषय देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात की उतराई कीमत से की गई है।

क मूल्य कटौती

93. मूल्य कटौती के विश्लेषण के उद्देश्य से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना विषय देश से आयात की उतराई कीमत से की गई है। तदनुसार, विषय देश से पाटित आयातों का प्रभाव निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	जाँच अवधि
आयात मात्रा	एमटी	8,206
शुद्ध बिक्री प्राप्ति	₹/एमटी	***
पहुँच मूल्य	₹/एमटी	1,73,589
मूल्य कटौती	₹/एमटी	***
मूल्य कटौती	%	***
रेंज		30-40

94. प्राधिकारी नोट करता है कि संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। जाँच अवधि में मूल्य कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

ख मूल्य दमन/मूल्य हास

95. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को नीचे ला रहे हैं तथा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक दबाने अथवा ऐसी मूल्य-वृद्धियों को रोकने का है जो सामान्य परिस्थितियों में अन्यथा हुई होतीं, क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमतों में परिवर्तन की तुलना निम्नानुसार की गई है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
1	बिक्री लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	105	97	103
2	बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	98	96	90
3	उतराई कीमत	₹/एमटी	1,96,724	2,02,366	1,83,194	1,73,589

96. यह देखा गया है कि:
- घरेलू उद्योग की बिक्री लागत 2022-23 में बढ़ी, जबकि बिक्री कीमत घटी।
 - 2023-24 में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों घटीं, किंतु बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री लागत में गिरावट से कम थी। घरेलू उद्योग इस अवधि में लाभ अर्जित करता रहा।

- iii. जाँच अवधि में बिक्री लागत बढ़ी है, जबकि बिक्री कीमत में गिरावट आई है।
- iv. आधार वर्ष की तुलना में जहाँ लागत ₹*** प्रति एमटी बढ़ी है, वहीं बिक्री कीमत ₹*** प्रति एमटी घटी है, जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की कीमतें दबाव में रही हैं।
- v. पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में जहाँ लागत ₹*** प्रति एमटी बढ़ी है, वहीं उसी अवधि में बिक्री कीमत ₹*** प्रति एमटी घटी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग की कीमतों में हास हुआ है।
- vi. आधार वर्ष अथवा पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों में हास हुआ है।
- vii. आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की लागत से कम है और इसलिए इन आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

छ.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

97. नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार, क्षति का निर्धारण करते समय पाटित आयातों का ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव का वस्तुनिष्ठ परीक्षण किया जाना आवश्यक है। पाटित आयातों के घरेलू उद्योग पर प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी प्रावधान है कि जाँच में उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और संकेतकों का वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। इनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; पाटन मार्जिन की मात्रा; तथा नकदी प्रवाह, भंडार, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित प्रतिकूल प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संकेतकों की नीचे चर्चा की गई है।

क क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

98. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री तथा क्षमता उपयोग निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
1	क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	100	114	127

2	कुल उत्पादन (विचाराधीन उत्पाद एवं गैर-विचाराधीन उत्पाद)	एमटी	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	105	109	116
3	संयंत्र की क्षमता का उपयोग (विचाराधीन उत्पाद एवं गैर-विचाराधीन उत्पाद)	%	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	105	96	91
4	PUC का उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	108	107	124
5	घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	112	115	129

99. उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करता है:

- घरेलू तथा निर्यात बाजार में उत्पाद की बढ़ती माँग को देखते हुए घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता का विस्तार किया है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि देश की आयात निर्भरता कम करने के उद्देश्य से क्षमता विस्तार किया गया था, जबकि आयात अभी भी देश की माँग के बड़े हिस्से पर कब्जा बनाए हुए हैं।
- विचाराधीन उत्पाद ग्राहक के ऑर्डर के अनुसार निर्मित किया जाने वाला उत्पाद है।
- क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है।
- घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद, वह पर्याप्त निष्क्रिय क्षमता के साथ कार्य कर रहा है।
- घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू बिक्री में वृद्धि ग्राहकों को बनाए रखने के लिए लाभप्रदता में समझौता करते हुए किए गए उसके प्रयासों का परिणाम थी।

100. विचाराधीन उत्पाद ऐसा फैब्रिक है जिसे करघे पर बुना जाता है। यह उत्पाद ऑर्डर के अनुसार बनाया जाता है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि वह पूर्णतः “मेड-टू-ऑर्डर” मॉडल पर कार्य करता है, जिसमें उत्पादन केवल ग्राहकों से पुष्ट क्रय आदेश प्राप्त होने के बाद ही प्रारंभ किया जाता है। घरेलू उद्योग ने उसके पास उपलब्ध करघों की संख्या के संबंध में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराई है:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
उपलब्ध करघों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
वास्तव में संचालित करघों की संख्या	संख्या	***	***	***	***

निष्क्रिय करघे	संख्या	***	***	***	***
----------------	--------	-----	-----	-----	-----

101. प्राधिकारी नोट करता है कि 2023-24 में घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई, जबकि उसी समय करघों की संख्या में वृद्धि हुई। उत्पादन में इस कमी तथा उत्पादन स्तर बनाए रखने के लिए पर्याप्त ऑर्डर न होने के कारण घरेलू उद्योग को जाँच अवधि में अपनी कीमतों में सुधारात्मक कमी करनी पड़ी।
102. यह देखा गया है कि कीमतों में की गई यह कमी बिक्री लागत में हुई कमी से अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप जाँच अवधि में आवेदक के लाभ, नकद लाभ तथा निवेश पर प्रतिफल में गिरावट आई।

ख बाजार हिस्सेदारी

103. घरेलू उद्योग, समर्थक उत्पादकों तथा विषय देश से भारत में हुए आयातों की बाजार हिस्सेदारी नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	107	92	114
2	अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	115	96	79
3	विषय देश	%	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	84	110	101
4	अन्य देश	%	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	-	11	-

104. उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करता है:
- घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी 2022-23 में बढ़ी, 2023-24 में घटी और जाँच अवधि में पुनः बढ़ी।
 - समर्थक उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी 2022-23 में बढ़ी, किंतु जाँच अवधि में घट गई।
 - संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी 2022-23 में घटी, 2023-24 में बढ़ी और जाँच अवधि में पुनः घटी।
 - भारतीय उद्योग के पास संपूर्ण घरेलू माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। इसके बावजूद आयात भारतीय माँग में अत्यधिक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी बनाए हुए हैं।

ग भंडार

105. घरेलू उद्योग के भंडार से संबंधित सूचना निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
1	प्रारंभिक भंडार	एमटी	***	***	***	***
2	रुझान	सूचकांक	100	114	70	18
3	अंतिम भंडार	एमटी	***	***	***	***
4	रुझान	सूचकांक	100	61	16	55
5	औसत भंडार	एमटी	***	***	***	***
6	रुझान	सूचकांक	100	86	41	38

106. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग का भंडार 2023-24 तक घटा, किंतु जाँच अवधि में इसमें वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग ने इस बात पर बल दिया है कि विचाराधीन उत्पाद की अधिक माँग के बावजूद उसे भंडार के संचय का सामना करना पड़ा।

घ लाभप्रदता, नकद लाभ तथा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

107. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (ROCE) तथा नकद लाभ निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
1	लाभ/(हानि)	₹/एमटी	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	57	117	14
2	लाभ/(हानि)	₹ लाख	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	63	134	18
3	PBIT	₹/एमटी	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	59	121	27
4	PBIT	₹ लाख	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	64	104	26
5	नकद लाभ	₹/एमटी	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	62	116	29
6	नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	67	102	29
7	ROCE	%	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	69	107	17

108. उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करता है:

- i. घरेलू उद्योग का प्रति इकाई लाभ 2022-23 में घटा, 2023-24 में बढ़ा और उसके बाद जाँच अवधि में अत्यधिक गिर गया। क्षति अवधि के दौरान लाभ में ₹*** प्रति एमटी की गिरावट आई है।
- ii. ब्याज और कर से पूर्व लाभ आधार वर्ष में ₹*** प्रति एमटी से घटकर जाँच अवधि में ₹*** प्रति एमटी रह गया।
- iii. सकल घरेलू बिक्री पर लाभ, नकद लाभ, ब्याज और कर से पूर्व लाभ तथा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल, सभी में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है। अधिक मात्रा में बिक्री करने के बावजूद घरेलू उद्योग के इन संकेतकों में गिरावट दर्ज हुई है।
- iv. घरेलू उद्योग का निवेश पर प्रतिफल जाँच अवधि में सबसे कम था।

क रोजगार, मजदूरी तथा उत्पादकता

109. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	107	118	146
2	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/संख्या	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	100	91	85
3	प्रति दिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	108	107	124
4	मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	102	100	121

110. यह नोट किया गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा भुगतान की गई मजदूरी में वृद्धि हुई है। इन मानदंडों में वृद्धि के साथ प्रति दिन उत्पादकता में भी सुधार हुआ है। तथापि, घरेलू उद्योग ने इन मानदंडों में क्षति का दावा नहीं किया है, क्योंकि ये अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं।

ख वृद्धि

111. क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री मात्रा, PBT, PBIT, नकद लाभ तथा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
1	PUC का उत्पादन	%	7%	0%	15%
2	घरेलू बिक्री	%	12%	2%	13%
3	प्रति इकाई लाभ/हानि	%	-43%	107%	-88%
4	लाभ/हानि	₹ लाख	-37%	111%	-87%
5	प्रति इकाई PBIT	%	-34%	109%	-75%
6	PBIT	₹ लाख	-41%	104%	-78%
7	प्रति इकाई नकद लाभ	%	-31%	91%	-71%
8	नकद लाभ	₹ लाख	-38%	87%	-75%

112. यह देखा गया है कि मात्रा संबंधी मानदंडों में घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्री तथा बाजार हिस्सेदारी में सकारात्मक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता का विस्तार किया है और इसलिए मात्रा संबंधी मानदंडों में वृद्धि स्वाभाविक थी।
113. घरेलू उद्योग ने कीमत संबंधी मानदंडों में अत्यधिक नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। जाँच अवधि में लाभप्रदता, नकद लाभ तथा ब्याज से पूर्व लाभ में महत्वपूर्ण नकारात्मक वृद्धि हुई है।

ग पाटन की मात्रा

114. पाटन की मात्रा इस बात का संकेतक है कि भारत में आयात किस सीमा तक पाटित कीमतों पर हो रहे हैं। जाँच से यह स्पष्ट हुआ है कि जाँच अवधि के दौरान पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

घ पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

115. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग को कीमत संबंधी मानदंडों में महत्वपूर्ण गिरावट का सामना करना पड़ा है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता का विस्तार किया है, तथापि क्षमता विस्तार का निर्णय उस समय लिया गया था जब उसका प्रदर्शन बेहतर था। घरेलू उद्योग का वर्तमान लाभ उत्पादन लागत के 2% से भी कम है और इसलिए व्यवसाय में किसी नए निवेश को उचित नहीं ठहराता। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि उत्पाद के पाटन के कारण उसकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएँ गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं।

अतः पूंजी निवेश जुटाने अथवा नियोजित पूंजी के लिए धन प्राप्त करने की क्षमता प्रभावित हुई है।

ड घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

116. यह नोट किया गया है कि विषय देश से विचाराधीन उत्पाद की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की लागत तथा बिक्री कीमत से कम है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत दबाव में है, जिससे उसके परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति हो रही है। विषय देश से पाटित आयात घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक हैं।

ज कारणात्मक संबंध एवं गैर-आरोपण विश्लेषण

117. नियमावली के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अतिरिक्त ऐसे ज्ञात कारकों की भी जाँच करना आवश्यक है जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हों, ताकि उन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति को पाटित आयातों के लिए आरोपित न किया जाए। नीचे यह जाँच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अतिरिक्त अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दिया है।
118. इस संबंध में प्रासंगिक कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, गैर-पाटित कीमतों पर बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, माँग में संकुचन या उपभोग के स्वरूप में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ तथा उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास, घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन तथा उत्पादकता शामिल हैं। नीचे यह जाँच की गई है कि नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध इन कारकों में से किसी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दिया है या नहीं।

क तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

119. विषय देश से जाँच अवधि के दौरान आयात भारत के कुल आयात का 100% हिस्सा है। अन्य देशों से संबद्ध वस्तु के आयात घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचा रहे हैं।

ख माँग में संकुचन

120. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की माँग में वृद्धि हुई है। यह भी देखा गया है कि जाँच अवधि में माँग में मामूली गिरावट के बावजूद घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है। अतः जाँच अवधि में घरेलू उद्योग को माँग में संकुचन के कारण क्षति नहीं हुई है।

ग उपभोग के स्वरूप में परिवर्तन

121. विचाराधीन उत्पाद के उपभोग के स्वरूप में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

घ व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ

122. किसी भी इच्छुक पक्षकार ने ऐसी किसी ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो। अतः प्राधिकारी निष्कर्ष निकालता है कि व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

ड प्रौद्योगिकी का विकास

123. प्राधिकारी नोट करता है कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः प्रौद्योगिकी में विकास के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

च निर्यात प्रदर्शन

124. प्राधिकारी नोट करता है कि जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन का अत्यंत छोटा हिस्सा निर्यात किया है। तथापि, ऊपर जाँची गई क्षति संबंधी सूचना केवल घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन से संबंधित है। अतः घरेलू उद्योग को हुई क्षति को उसके निर्यात प्रदर्शन के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता।

छ अन्य उत्पादों का प्रदर्शन

125. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के प्रदर्शन से संबंधित आँकड़ों पर विचार किया है। अतः घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का प्रदर्शन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संभावित कारण नहीं है।

झ क्षति मार्जिन की मात्रा

126. प्राधिकारी ने संशोधित पाटनरोधी नियमावली को अनुबंध-III के साथ पढ़ते हुए उसमें निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति-रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्पादन लागत संबंधी सूचना/आँकड़ों के आधार पर किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए एनआईपी की तुलना विषय देश से आयात की उतराई कीमत से की गई है। एनआईपी निर्धारित करते समय क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल तथा उपयोगिताओं के सर्वोत्तम उपयोग को ध्यान में रखा गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग को भी ध्यान में रखा गया है। असाधारण अथवा गैर-पुनरावर्ती व्ययों को उत्पादन लागत से बाहर रखा गया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी, अर्थात् औसत निवल स्थायी परिसंपत्तियाँ तथा औसत कार्यशील पूंजी,

पर 22% का युक्तिसंगत कर-पूर्व प्रतिफल एनआईपी निर्धारित करने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में स्वीकार किया गया है।

127. ऊपर निर्धारित क्षति-रहित कीमत की तुलना विचाराधीन उत्पाद की उतराई कीमत से की गई है। विषय देश के नमूने में शामिल उत्पादकों के लिए उतराई कीमत का निर्धारण उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के आधार पर किया गया है। नमूने में शामिल न किए गए सहयोगी उत्पादकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण नमूने में शामिल सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के भारित औसत क्षति मार्जिन के आधार पर किया गया है। चीन जनवादी गणराज्य के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

क्र. सं.	विवरण	एनआईपी (\$/एमटी)	पहुँच मूल्य (\$/एमटी)	क्षति मार्जिन		
				(\$/एमटी)	(%)	रेंज
1	शूयी हुआचेंग इंडस्ट्रियल क्लॉथ कंपनी लिमिटेड, वूशी पॉलीमिको मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड तथा चिंगदाओ चेनलानशिन बिजनेस एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (समूह)	***	***	***	***	30-40
2	चिंगझोउ शेंगबो न्यू प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
3	जियांगसू ताइजी इंडस्ट्री न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
4	नमूने में शामिल न किए गए उत्पादक	***	***	***	***	25-35
5	अन्य सभी उत्पादक	***	***	***	***	120-130

ज भारतीय उद्योग का हित

ज.1 इच्छुक पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

128. अन्य इच्छुक पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

क बेल्टिंग फैब्रिक, टेक्सटाइल-प्रबलित कन्वेयर बेल्ट के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है, जिनका उपयोग खनन, सीमेंट, इस्पात, विद्युत तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। अतः किसी भी शुल्क के प्रभाव की जाँच कन्वेयर-बेल्ट निर्माताओं के स्तर

- पर तथा आगे के डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं के स्तर पर, दोनों पर की जानी आवश्यक है।
- ख एआईआरआईए ने प्रस्तुत किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा खरीदे जाने वाले कन्वेयर बेल्ट की कीमत लगभग ₹115-125 प्रति किलोग्राम तथा कमर्शियल-ग्रेड बेल्ट की कीमत लगभग ₹100 प्रति किलोग्राम है। एआईआरआईए ने फैब्रिक की लागत लगभग ₹34 प्रति किलोग्राम बताई है और कन्वेयर बेल्ट की कीमत पर लगभग 12.7% प्रभाव का अनुमान लगाया है, जो घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए अनुमान से काफी अधिक है।
- ग एआईआरआईए ने कहा है कि वह लगभग 90 कन्वेयर-बेल्ट निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करता है, जिनमें से 80% से अधिक एमएसएमई हैं, और उसने 57 सदस्यों के उद्यम प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं। एआईआरआईए का कहना है कि रिवर्स ऑक्शन तथा बंद निविदाओं के कारण इन निर्माताओं की बढ़ी हुई इनपुट लागत को आगे स्थानांतरित करने की क्षमता काफी सीमित रहती है।
- घ सूक्ष्म और लघु बेल्ट निर्माताओं, जिन्हें 1 से 4 रोल जैसी छोटी मात्रा की आवश्यकता होती है, के बारे में कहा गया है कि वे काफी हद तक आयातकों और स्टॉकिस्टों पर निर्भर हैं तथा उनकी मोलभाव की क्षमता कम, ऋण तक पहुँच सीमित और भंडार बनाए रखने की क्षमता कम होती है।
- ङ उपयोगकर्ता एसोसिएशन ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू क्षमता की कुल माँग से समग्र तुलना, विशिष्ट फैब्रिक प्रकारों, तकनीकी विनिर्देशों, गुणवत्ता, आपूर्ति समय तथा छोटे निर्माताओं की पहुँच की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाती।
- च यह भी आरोप लगाया गया है कि घरेलू उद्योग ग्राहक-विशिष्ट मूल्य निर्धारण अपनाता है, समान अथवा तुलनीय बेल्टिंग फैब्रिक की कीमतें विभिन्न ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होती हैं और छोटे खरीदारों को बड़े अथवा ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत बेल्ट निर्माताओं के समान पहुँच अथवा वाणिज्यिक शर्तें उपलब्ध नहीं होतीं।
- छ एआईआरआईए ने इस दावे का विरोध किया है कि तैयार कन्वेयर बेल्ट के आयात भारतीय बाजार के 10% से कम हैं। उसका कहना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उद्धृत मासिक आयात मूल्य स्वयं वार्षिक स्तर पर इससे काफी अधिक आयात उपस्थिति दर्शाते हैं।
- ज भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने भी प्रस्तुत किया है कि बेल्टिंग फैब्रिक पर शुल्क लगाए जाने से डाउनस्ट्रीम बेल्ट निर्माताओं की लागत बढ़ेगी और परिणामस्वरूप खनन, सीमेंट, इस्पात तथा विद्युत जैसे क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ेगा तथा एमएसएमई उपयोगकर्ताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

129. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

- क बेल्टिंग फैब्रिक का उपयोग कन्वेयर बेल्ट में प्रबलन सामग्री के रूप में किया जाता है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि रबर कन्वेयर बेल्ट में रबर मुख्य सामग्री तथा प्रमुख लागत निर्धारक है और फैब्रिक का हिस्सा तुलनात्मक रूप से काफी कम है।
- ख पाटनरोधी शुल्क लगाना लोकहित के प्रतिकूल नहीं होगा। यह उपाय अनुचित पाटन का समाधान करेगा, जबकि उचित कीमतों पर आयात को भारत में प्रवेश करने से नहीं रोकेगा।
- ग घरेलू उद्योग ने कन्वेयर-बेल्ट उत्पादक पर शुल्क के प्रभाव का अनुमान लगभग 2-4% तथा आगे कन्वेयर सिस्टम पर प्रभाव का अनुमान लगभग 0.2-2.5% लगाया है।
- घ यह कहा गया है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग बढ़ी हुई इनपुट लागत को आगे स्थानांतरित करने में सक्षम है, क्योंकि तैयार कन्वेयर बेल्ट के आयात भारतीय बाजार का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा बताते गए हैं।
- ङ यह कहा गया है कि भारतीय उद्योग की समग्र क्षमता घरेलू माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और इसलिए देश में कोई माँग-आपूर्ति अंतर नहीं है।
- च एआईआरआईए द्वारा लगभग 90 उपभोक्ताओं/बेल्टिंग फैब्रिक निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने का दावा किए जाने के बावजूद, किसी भी व्यक्तिगत सदस्य ने अपनी लाभप्रदता, खपत तथा लागत वृद्धि को आगे स्थानांतरित करने की क्षमता दर्शाने वाला पूर्ण उपयोगकर्ता प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है।
- छ घरेलू उद्योग ने 70 से अधिक ग्राहकों की सूची प्रस्तुत की है तथा ग्राहक-वार बिक्री सूचना भी अभिलेख पर रखी है ताकि यह दर्शाया जा सके कि उसकी आपूर्ति केवल कुछ चुनिंदा खरीदारों तक सीमित नहीं है।
- ज भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण के आरोप से इंकार किया गया है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि आपूर्ति किए गए उत्पाद तथा संबंधित वाणिज्यिक परिस्थितियों को ध्यान में रखने पर वसूली गई कीमतें व्यापक रूप से तुलनीय हैं।
- झ नीलकंठ और यूरेका से संबंधित विशिष्ट आरोपों के संबंध में घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि नीलकंठ को अपेक्षाकृत कम कीमतों में से एक पर आपूर्ति की गई थी, जबकि यूरेका से वसूली गई कीमत उसकी औसत बिक्री कीमत से अधिक थी।

ज घरेलू उद्योग ने तकनीकी वस्त्रों के स्वदेशी उत्पादन के महत्व पर भी बल दिया है और प्रस्तुत किया है कि एक निष्पक्ष तथा व्यवहार्य घरेलू आपूर्ति आधार दीर्घकाल में उपयोगकर्ताओं के हित में है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

क प्रस्तावित उपाय का उपयोगकर्ता उद्योग पर प्रभाव का आकलन

130. प्राधिकारी ने आर्थिक हित प्रश्नावली ("ईआईक्यू") के उत्तरों, लिखित प्रस्तुतियों, प्रत्युत्तर प्रस्तुतियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सहायक सामग्री के आधार पर संभावित पाटनरोधी उपाय का घरेलू उद्योग, आयातकों, तत्काल डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं तथा आगे के डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर संभावित प्रभाव का परीक्षण किया है। बेल्टिंग फैब्रिक एक औद्योगिक मध्यवर्ती उत्पाद है, जिसका प्रमुख उपयोग टेक्सटाइल-प्रबलित रबर कन्वेयर बेल्ट में प्रबलन सामग्री के रूप में किया जाता है। ऐसे कन्वेयर बेल्ट का उपयोग खनन, सीमेंट, इस्पात, विद्युत तथा अन्य सामग्री-हैंडलिंग अनुप्रयोगों में किया जाता है।
131. प्राधिकारी नोट करता है कि पाटनरोधी शुल्क आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगाता और न ही भारतीय बाजार को घरेलू उद्योग के लिए आरक्षित करता है। लागू शुल्क के भुगतान पर संबद्ध वस्तु का आयात जारी रह सकता है। लोकहित के संदर्भ में प्रासंगिक प्रश्न यह है कि क्या उपयुक्त रूप से निर्धारित सुधारात्मक उपाय संबद्ध वस्तु तक पहुँच को महत्वपूर्ण रूप से बाधित करेगा अथवा डाउनस्ट्रीम उद्योग पर ऐसा लागत भार डालेगा जो पाटन से हुई क्षति को दूर करने के सुधारात्मक उद्देश्य की तुलना में असंगत हो।

ख उपयोगकर्ता उद्योग की भागीदारी तथा साक्ष्य का आधार

132. प्राधिकारी नोट करता है कि आर्थिक हित प्रश्नावली के उत्तर घरेलू उद्योग, कुछ उत्पादकों/निर्यातकों, ओरिएंटल इंडस्ट्रीज (सूझोउ) लिमिटेड तथा एआईआरआईए से प्राप्त हुए। एआईआरआईए लगभग 90 कन्वेयर-बेल्ट निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करता है, जिनमें 80% से अधिक एमएसएमई हैं, और उसने 57 सदस्यों के उद्यम प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं। तथापि, किसी व्यक्तिगत सदस्य ने खपत, खरीद स्रोत, लाभप्रदता अथवा बढ़ी हुई इनपुट लागत को आगे स्थानांतरित करने की क्षमता से संबंधित पूर्ण सत्यापित आँकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं। अतः प्राधिकारी ने एआईआरआईए द्वारा एसोसिएशन स्तर पर की गई प्रस्तुतियों तथा सहायक सामग्री पर विचार किया है, साथ ही इस साक्ष्य संबंधी सीमा को भी ध्यान में रखा है।

ग डाउनस्ट्रीम उत्पाद में बेल्टिंग फैब्रिक का महत्व

133. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री दर्शाती है कि बेल्टिंग फैब्रिक रबर कन्वेयर बेल्ट में एक महत्वपूर्ण इनपुट है, यद्यपि उसका हिस्सा अपनाए गए आधार के अनुसार अलग-अलग होता है। प्रतिनिधिक संरचना में फैब्रिक का हिस्सा भार के आधार पर लगभग 17% है, जबकि घरेलू उद्योग ने कच्चे माल की लागत में इसका हिस्सा लगभग 20% बताया है। दूसरी ओर, एआईआरआईए ने फैब्रिक की लागत लगभग ₹34 प्रति किलोग्राम बताई है, जो कुछ कन्वेयर बेल्ट के बिक्री मूल्य का लगभग 29.6%-34% है। चूंकि ये आँकड़े अलग-अलग आधारों पर आधारित हैं, इसलिए इनकी प्रत्यक्ष तुलना नहीं की जा सकती। अतः प्रासंगिक विचार यह है कि फैब्रिक पर वास्तविक शुल्क प्रभाव कितना है, बेल्ट में फैब्रिक की कितनी मात्रा प्रयुक्त होती है, तैयार बेल्ट का मूल्य कितना है और डाउनस्ट्रीम स्तर पर कितना मूल्यवर्धन होता है।

घ तत्काल डाउनस्ट्रीम प्रभाव का परिमाणीकरण

134. पक्षकारों ने प्रयोक्ता पर प्रभाव के भिन्न-भिन्न अनुमान प्रस्तुत किए हैं। घरेलू उद्योग ने 20% के निदर्शी शुल्क का प्रयोग करते हुए लगभग 2.01%-2.82% का अनुमान लगाया है, जबकि एआईआरआईए ने फैब्रिक लागत और बेल्ट कीमत के संबंध में भिन्न पूर्वधारणाओं का प्रयोग करते हुए 12.7% का अनुमान लगाया है। चूंकि ये अनुमान प्रत्यक्ष रूप से तुलनीय नहीं हैं, इसलिए प्राधिकारी ने एक सामान्य आधार का प्रयोग किया है: इन अंतिम जांच परिणामों में अनुशंसित निम्नतम और उच्चतम शुल्क राशियां, भार के आधार पर 17% का प्रतिनिधिक फैब्रिक हिस्सा, और पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत बेल्ट कीमत की श्रेणियां। तालिका में तैयार बेल्ट पर प्रत्यक्ष लागत भार दर्शाया गया है; इसमें उसकी बिक्री कीमत में स्वतः वृद्धि अथवा अनुप्रवाह उद्योग पर वास्तविक औसत प्रभाव नहीं दर्शाया गया है।

विवरण	इकाई	निम्नतर भार	उच्चतर भार
प्रकट की गई उत्पादक श्रेणियों में पाटन/क्षति मार्जिन राशि में से कमतर	अमरीकी डॉलर/मी.ट.	374	1,620
₹85.43/अमरीकी डॉलर की दर पर बेल्टिंग फैब्रिक पर समतुल्य पाटनरोधी शुल्क भार	₹/कि.ग्रा. फैब्रिक	31.95	138.40
निदर्शन हेतु प्रयुक्त प्रतिनिधिक फैब्रिक हिस्सा	बेल्ट के भार का %	17%	17%
तैयार कन्वेयर बेल्ट पर प्रत्यक्ष प्रभाव	₹/कि.ग्रा. बेल्ट	5.43	23.53
एआईआरआईए की ₹100-125/कि.ग्रा. की तैयार बेल्ट कीमत श्रेणी पर प्रभाव	बेल्ट मूल्य का %	4.3%	23.5%

घरेलू उद्योग की ₹150-350/कि.ग्रा. की तैयार बेल्ट कीमत श्रेणी पर प्रभाव	बेल्ट मूल्य का %	1.6%	15.7%
--	------------------	------	-------

135. 374 अमरीकी डॉलर/मी.ट. के निम्नतर अनुशंसित शुल्क पर, अतिरिक्त शुल्क आयातित फैब्रिक के प्रति कि.ग्रा. लगभग ₹31.95 है। बेल्ट के भार में फैब्रिक का हिस्सा 17% होने पर, इससे तैयार कन्वेयर बेल्ट के प्रति कि.ग्रा. लगभग ₹5.43 की वृद्धि होती है। यह ₹350/कि.ग्रा. कीमत वाली बेल्ट का लगभग 1.6% और ₹125/कि.ग्रा. कीमत वाली बेल्ट का 4.3% है। इस निदर्शित निम्नतर शुल्क आधार पर, प्रत्यक्ष लागत वृद्धि तैयार बेल्ट के मूल्य की तुलना में सीमित है और यह संपूर्ण कन्वेयर प्रणाली की लागत में तुलनीय प्रतिशत वृद्धि नहीं है।
136. शुल्क आयातित फैब्रिक पर उद्गृहीत किया जाता है, न कि बेल्ट के संपूर्ण मूल्य पर। फैब्रिक तैयार उत्पाद का केवल एक घटक है। अतः अन्य सामग्रियों और विनिर्माण के जुड़ने पर अतिरिक्त लागत मूल्य का एक छोटा हिस्सा बन जाती है, और संपूर्ण कन्वेयर प्रणाली में यह हिस्सा और भी छोटा हो जाता है। तालिका में केवल प्रथम चरण के निविष्टि लागत भार का मापन किया गया है; इससे यह स्थापित नहीं होता है कि बेल्ट विनिर्माता अंततः अपने ग्राहक से कितना प्रभार लेगा।
137. उच्चतर स्तर के निदर्शन में 1,620 अमरीकी डॉलर/मी.ट. के उच्चतम अनुशंसित शुल्क और बताई गई बेल्ट कीमत श्रेणियों के निम्नतर स्तर का प्रयोग किया गया है। समान पूर्वधारणाओं पर, इससे बेल्ट के प्रति कि.ग्रा. लगभग ₹23.53 की अतिरिक्त लागत, अथवा ₹100/कि.ग्रा. कीमत वाली बेल्ट की तुलना में 23.5%, प्राप्त होती है। यह एक उच्चतर स्तर का गणितीय संयोजन है, न कि अनुप्रवाह उद्योग पर सामान्य अथवा औसत शुल्क भार। शुल्क श्रेणियों और बेल्ट विनिर्देशनों में खरीद के वितरण को दर्शाने वाले सत्यापित आंकड़ों के अभाव में, इस आंकड़े को सभी प्रयोक्ताओं का प्रतिनिधिक नहीं माना जा सकता है। तथापि, इससे यह निदर्शित होता है कि प्रभाव अलग-अलग सौदों के बीच भिन्न हो सकता है।

ड कन्वेयर बेल्ट विनिर्माताओं की अतिरिक्त लागत को आगे अंतरित करने की क्षमता

138. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विनिर्माता विद्यमान नियत-कीमत संविदाओं के अंतर्गत कीमतों को तत्काल संशोधित करने में सक्षम न हों। तथापि, वे नए ऑर्डरों और निविदाओं के लिए कोटेशन देते समय अथवा संविदाओं का नवीकरण करते समय अतिरिक्त निविष्टि लागत को ध्यान में रख सकते हैं। निम्नतर शुल्क पर, निदर्शित प्रत्यक्ष लागत बेल्ट के प्रति कि.ग्रा.

लगभग ₹5.43 है। साक्ष्य से यह नहीं दर्शाया गया है कि अनुप्रवाह विनिर्माता सामान्यतः आगामी ऑर्डरों में इस लागत को कीमतों में प्रतिबिंबित करने में असमर्थ होंगे, यद्यपि वसूली का समय और सीमा अलग-अलग प्रयोक्ताओं के बीच भिन्न हो सकती है।

139. एआईआरआईए और कतिपय प्रयोक्ताओं ने आयातित तैयार बेल्टों से प्रतिस्पर्धा और एमएसएमई को कीमतें बढ़ाने में आने वाली कठिनाई के संबंध में चिंताएं व्यक्त की हैं। इन चिंताओं की जांच की गई है। उपलब्ध साक्ष्य से यह स्थापित नहीं होता है कि अनुशंसित शुल्क से अनुप्रवाह उद्योग अव्यवहार्य हो जाएगा, व्यापक पैमाने पर इकाइयां बंद होंगी अथवा संपूर्ण उद्योग में रोज़गार की हानि होगी। विशिष्ट संविदाओं के अंतर्गत संभावित कठिनाइयों से समग्र रूप से अनुप्रवाह प्रयोक्ताओं पर वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव स्थापित नहीं होता है।

च उपलब्धता, स्रोत-निर्धारण के विकल्प और एमएसएमई की पहुंच

140. घरेलू और आयातित बेल्टिंग फैब्रिक आपूर्ति के स्रोतों के रूप में उपलब्ध बने हुए हैं। जांच की अवधि के दौरान, भारतीय मांग में संबद्ध आयातों का हिस्सा लगभग 39.74% था, और घरेलू उद्योग ने 70 से अधिक ग्राहकों को लगभग 8,365 मी.ट. की बिक्री की। अनुशंसित शुल्क से आयात नहीं रुकते हैं; प्रयोक्ता लागू शुल्क का भुगतान करके विशिष्ट विनिर्देशनों सहित आयातित फैब्रिक की खरीद जारी रख सकते हैं। यद्यपि कुछ प्रयोक्ताओं ने स्टाइल, लॉट आकार और सुपुर्दगी समय के संबंध में चिंताएं व्यक्त की हैं, तथापि सत्यापित रिकॉर्ड से विचाराधीन उत्पाद की सामान्य कमी स्थापित नहीं होती है और न ही यह दर्शाया गया है कि शुल्क से समग्र रूप से अनुप्रवाह उद्योग को अपनी निविष्टियां प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होगी।

छ ग्राहक-विशिष्ट कीमत-निर्धारण और प्रतिस्पर्धी परिस्थितियां

141. प्राधिकारी ने अलग-अलग ग्राहकों के लिए भिन्न-भिन्न कीमतों के आरोप की भी जांच की है। बीजक कीमतें विनिर्देशन, ऑर्डर की मात्रा, ऋण, सुपुर्दगी और अन्य वाणिज्यिक शर्तों के कारण भिन्न हो सकती हैं। रिकॉर्ड से यह स्थापित नहीं होता है कि ऐसे अंतर अनिवार्य रूप से भेदभावपूर्ण हैं। अनुशंसित शुल्क प्रयोक्ताओं को आपूर्ति के घरेलू अथवा आयातित स्रोतों का चयन करने से नहीं रोकता है।

ज प्रयोक्ता पर प्रभाव और जनहित का समग्र मूल्यांकन

142. प्रभाव तालिका और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

- i. 374 अमरीकी डॉलर/मी.ट. के निम्नतर अनुशंसित शुल्क पर, निदर्शित अतिरिक्त लागत बेल्ट के प्रति कि.ग्रा. लगभग ₹5.43 है, अथवा तैयार बेल्ट की ₹350/कि.ग्रा. कीमत पर लगभग 1.6% और ₹125/कि.ग्रा. कीमत पर 4.3% है;
- ii. शुल्क केवल आयातित फैब्रिक पर लागू होता है; बेल्ट पर प्रत्यक्ष भार बेल्ट की बिक्री कीमत में अथवा संपूर्ण कन्वेयर प्रणाली की लागत में समतुल्य वृद्धि नहीं है;
- iii. उच्चतर आंकड़े में उच्चतम शुल्क को तैयार बेल्ट की निम्न कीमतों के साथ संयोजित किया गया है; यह एक उच्चतर स्तर का निदर्शन है और इसे सभी प्रयोक्ताओं पर औसत भार नहीं माना जा सकता है;
- iv. विनिर्माता भावी निविदाओं, नए ऑर्डरों और संविदा नवीकरणों में अतिरिक्त फैब्रिक लागत को शामिल कर सकते हैं, यद्यपि विद्यमान नियत-कीमत संविदाओं के कारण वसूली में विलंब हो सकता है;
- v. प्रयोक्ताओं को घरेलू उत्पादन के साथ-साथ शुल्क के भुगतान पर आयातित फैब्रिक तक पहुंच प्राप्त रहेगी;
- vi. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से यह स्थापित नहीं होता है कि अनुशंसित शुल्क से अनुप्रवाह उद्योग पर वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और
- vii. यह उपाय घरेलू और आयातित आपूर्तिकर्ताओं से स्रोत प्राप्त करने के विकल्प को बनाए रखते हुए पाटित आयातों के कारण हुई क्षति का समाधान करता है।

143. अतः प्राधिकारी यह पाते हैं कि निम्नतर अनुशंसित शुल्क पर परिमाणित भार निदर्शित तैयार बेल्ट कीमतों की तुलना में सीमित है। उच्चतर स्तर की गणना को संपूर्ण अनुप्रवाह उद्योग पर सामान्य भार नहीं माना जा सकता है। चूंकि विनिर्माता भावी ऑर्डरों और निविदाओं में अतिरिक्त निविष्टि लागतों को प्रतिबिंबित कर सकते हैं, और आयात उपलब्ध बने हुए हैं, इसलिए साक्ष्य से यह स्थापित नहीं होता है कि अनुशंसित शुल्क से समग्र रूप से अनुप्रवाह प्रयोक्ताओं को वास्तविक हानि होगी।

144. तदनुसार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अनुशंसित पाटनरोधी शुल्क जनहित के प्रतिकूल नहीं है। यह पाटित आयातों के कारण हुई क्षति का समाधान करता है, आयातित बेल्टिंग फैब्रिक तक पहुंच बनाए रखता है और अनुप्रवाह विनिर्माताओं को भावी कीमतों में अतिरिक्त निविष्टि लागतों को ध्यान में रखने की अनुमति देता है। उपलब्ध परिमाणित साक्ष्य के आधार पर, अनुप्रवाह उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव स्थापित नहीं हुआ है।

ट प्रकटन के बाद प्राप्त टिप्पणियाँ

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणियाँ

उत्पाद दायरा, अनुरोधित अपवर्जन, डिपिंग/ट्विस्टिंग प्रक्रिया और ईईएन फैब्रिक

145. जियांगसू जियाहेंग फाइबर कंपनी लिमिटेड और झांगजियागांग शिनबाओयुआन ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ने अनुरोधित उत्पाद अपवर्जनों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि अगोपनीय अभिलेख से यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं होता कि विवादित विनिर्देशों वाले उत्पादों का जाँच अवधि (पीओआई) के दौरान घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक उत्पादन और बिक्री की थी या नहीं। एआईआरआईए ने भी प्रस्तुत किया है कि जाँच अवधि के बाद की सामग्री का उपयोग जाँच अवधि के दौरान उत्पादन अथवा वाणिज्यिक आपूर्ति स्थापित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
146. जियाहेंग ने प्रस्तुत किया है कि उसका ईई फैब्रिक दो-बाथ डिपिंग प्रक्रिया से बनाया जाता है और उसे बिना ट्विस्ट के भी आपूर्ति किया जा सकता है। इस आधार पर उसने अपवर्जन अथवा पीसीएन/तुलना में उपयुक्त समायोजन का अनुरोध किया है। एआईआरआईए ने कहा है कि दो-बाथ प्रक्रिया में कम लागत वाले यार्न और कम डिप पिक-अप का उपयोग होता है, जिससे जीएसएम, रसायनों की खपत और उत्पादन लागत कम होती है। अतः समान-से-समान आधार पर तुलना की जानी चाहिए। जियाहेंग ने ईईएन फैब्रिक के अपवर्जन का भी अनुरोध किया है, क्योंकि जाँच अवधि के दौरान तुलनीय उत्पाद की घरेलू वाणिज्यिक बिक्री सत्यापित रूप से स्थापित नहीं हुई है।
147. एआईआरआईए और नीलकंठ बेल्टिंग्स ने गुणवत्ता और तकनीकी उपयुक्तता संबंधी चिंताएँ उठाई हैं। नीलकंठ के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा संशोधित नमूने भी उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थे। एआईआरआईए ने आगे कहा है कि गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के बाद कुछ प्रयोक्ताओं ने खरीद बंद कर दी, दोषपूर्ण रोल बदले नहीं गए और पुरानी मशीनों का उपयोग करने वाले एमएसएमई को अपनी प्रसंस्करण क्षमता के अनुरूप फैब्रिक की आवश्यकता हो सकती है। अतः वास्तविक उपलब्धता का आकलन करते समय तकनीकी उपयुक्तता, विनिर्देश, रोल का आकार, आपूर्ति में लगने वाला समय और प्रसंस्करण में आसानी पर विचार किया जाना चाहिए।

नमूना चयन और सहयोगी गैर-नमूना उत्पादकों/निर्यातकों का व्यवहार

148. ओरिएंटल इंडस्ट्रीज और वूहू एस.एच.जेड. ने नियम 17(3) के अंतर्गत व्यक्तिगत जाँच का अनुरोध किया है, क्योंकि उन्होंने जाँच में पूर्ण और समय पर सहयोग किया था। यदि व्यक्तिगत जाँच नहीं की जाती, तो उन्होंने अवशिष्ट दर के बजाय सहयोगी गैर-नमूना उत्पादकों/निर्यातकों के लिए लागू दर देने का अनुरोध किया है। ओरिएंटल और जियांगसू

जियाहेंग ने यह भी अनुरोध किया है कि सभी सहयोगी गैर-नमूना उत्पादकों/निर्यातकों की अंतिम निष्कर्षों में स्पष्ट पहचान की जाए। झेजियांग यूनिफुल ने अपना नाम सही करने का अनुरोध किया है।

चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

149. उत्तर देने वाले चीनी उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रस्तुत किया है कि विश्व व्यापार संगठन में चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(ii) की अवधि 11 दिसंबर 2016 को समाप्त होने के बाद सामान्य मूल्य का निर्धारण उनकी अपनी कीमतों और लागतों के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः वे अनुबंध-1 के पैरा 7 के अंतर्गत सामान्य मूल्य के निर्धारण पर आपत्ति करते हैं।

क्षति, कीमत संबंधी प्रभाव और कारणात्मक संबंध

150. हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया है कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी प्रदर्शन में सुधार हुआ। उत्पादन, घरेलू बिक्री और बाजार हिस्सेदारी बढ़ी, जबकि मालसूची घटी तथा रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता में सुधार हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि आयात 2023-24 में 9,889 एमटी से घटकर जाँच अवधि में 8,206 एमटी रह गए। एआईआरआईए ने आगे कहा कि 2023-24 में आयात सर्वाधिक होने पर लाभप्रदता सुधरी, किंतु जाँच अवधि में आयात घटने पर लाभप्रदता में तीव्र गिरावट आई। उसने ₹1,73,589/एमटी और ₹1,63,762/एमटी के दो उतराई कीमत संबंधी आँकड़ों का स्पष्टीकरण भी माँगा है।
151. हितबद्ध पक्षकारों ने इस तथ्य पर भी भरोसा किया है कि निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) से अधिक थी। उन्होंने बेल्टिंग फैब्रिक के विभिन्न तकनीकी प्रकारों के बीच उचित पीसीएन-वार अथवा लेनदेन-स्तरीय विश्लेषण सहित निष्पक्ष तुलना का अनुरोध किया है। उन्होंने प्राधिकारी से क्षमता विस्तार, मूल्यहास, वित्त लागत, स्थिर लागत का अवशोषण, उत्पाद एवं ग्राहक मिश्रण, कीमत निर्धारण संबंधी निर्णय और माँग में गिरावट जैसे क्षति के अन्य संभावित कारणों की अलग से जाँच करने को भी कहा है। उन्होंने 2018 की उस जाँच पर भी भरोसा किया है जो शुल्क के बिना समाप्त हुई थी तथा घरेलू उद्योग की उन वार्षिक रिपोर्टों का उल्लेख किया है जिनमें उसके पूर्व प्रदर्शन, सरकारी व्यय में कमी और कन्वेयर बेल्ट की कमजोर निर्यात माँग का संदर्भ दिया गया है।

क्षतिरहित कीमत और 22% आरओसीई

152. एआईआरआईए और उत्तर देने वाले निर्यातकों ने एनआईपी निर्धारण के लिए नियोजित पूँजी पर कर-पूर्व 22% प्रतिफल की एकसमान दर के उपयोग पर आपत्ति की है। उनका कहना है कि अनुबंध-III में उचित प्रतिफल की अपेक्षा है, किंतु 22% की दर निर्धारित नहीं की गई है। एआईआरआईए ने विचाराधीन उत्पाद पर सामान्य मूल्यहास, वित्तीय तथा प्रशासनिक लागतों

के आवंटन का सत्यापन और कच्चे माल की लागत, रूपांतरण लागत, मूल्यहास, वित्त लागत, उत्पाद मिश्रण तथा बिक्री कीमत में परिवर्तन के साथ लाभप्रदता का मिलान करने का भी अनुरोध किया है।

एआईआरआईए: एमएसएमई पर प्रभाव, आपूर्ति उपलब्धता और लोकहित

153. एआईआरआईए ने कहा है कि वह लगभग 90 कन्वेयर बेल्ट निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करती है, जिनमें 80% से अधिक एमएसएमई हैं। छोटे निर्माता अक्सर कुछ ही रोल खरीदते हैं और इस कारण आयातकों तथा स्टॉकिस्टों पर निर्भर रहते हैं। एआईआरआईए के अनुसार कुल स्थापित क्षमता से यह सिद्ध नहीं होता कि प्रत्येक अपेक्षित विनिर्देश आवश्यक मात्रा में और निर्धारित आपूर्ति समय के भीतर वास्तव में उपलब्ध है। उसने आगे कहा है कि खुले बाजार में प्रभावी आपूर्ति मुख्यतः एसआरएफ और मदुरा से होती है, क्योंकि एनआरसी का उत्पादन अधिकांशतः स्वयं के उपयोग के लिए है, ग्रैबटेक ने उत्पादन बंद कर दिया है, सनरिया ने क्षमता अन्यत्र लगाई है और मदुरा के उत्पादन का एक भाग स्वयं के उपयोग में आता है।
154. एआईआरआईए ने यह भी प्रस्तुत किया है कि पॉलिएस्टर इंडस्ट्रियल यार्न पर पूर्ववर्ती गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) से आगत लागत बढ़ी और आपूर्ति प्रभावित हुई। उसने बड़े तथा छोटे खरीदारों के बीच कीमतों, उधार की शर्तों और आपूर्ति में अंतर तथा स्वयं के उपयोग के फैब्रिक का उपयोग करने वाले ऊर्ध्वधर एकीकृत उत्पादकों को मिलने वाले लाभ का आरोप लगाया है। उसने आगे कहा है कि निर्धारित कीमत वाले टेंडर, रिवर्स नीलामी और आयातित तैयार बेल्टों से प्रतिस्पर्धा के कारण एमएसएमई बढ़ी हुई फैब्रिक लागत आगे नहीं डाल सकते। एआईआरआईए ने यह भी तर्क दिया है कि कम कीमत वाली बेल्टों पर शुल्क का भार महत्वपूर्ण हो सकता है; एनआईपी में प्रयुक्त 22% प्रतिफल की तुलना डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं के वास्तविक आरओसीई से नहीं की जानी चाहिए; और उसके संघ-स्तरीय साक्ष्य को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि अलग-अलग सदस्यों ने पूर्ण आँकड़े दाखिल नहीं किए, विशेषकर जब कोई कमी-पत्र जारी नहीं किया गया था। उसने व्यापक उपस्थिति के बावजूद सीमित प्रतिभागिता पर चिंता जताई है और घरेलू उद्योग की पात्रता तथा उसका समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों द्वारा आयात संबंधी पूर्व आपत्तियों को दोहराते हुए अपनी सभी लिखित प्रस्तुतियों पर विचार करने का अनुरोध किया है।

डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं की अतिरिक्त चिंताएँ

155. बॉस्टन रबर्स और स्टार पॉलिमर्स ने प्रस्तुत किया है कि एमएसएमई को अक्सर कम सूचना पर कुछ ही रोलों की आवश्यकता होती है, जबकि घरेलू आपूर्तिकर्ता सामान्यतः थोक, ऑर्डर के अनुसार उत्पादन और अग्रिम भुगतान की शर्तों पर काम करते हैं। उनके अनुसार आयातक और स्टॉकिस्ट छोटी खेप, शीघ्र आपूर्ति और उधार सुविधा प्रदान करते हैं। उन्होंने यह भी

कहा है कि बेल्टिंग फैब्रिक अत्यधिक अनुकूलित उत्पाद है; इसलिए कुल घरेलू क्षमता से यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक अपेक्षित विनिर्देश का उत्पाद तुरंत उपलब्ध हो।

156. डायनेमिक रबर्स और एआरबी ने प्रस्तुत किया है कि जाँच अवधि के बाद कीमतें और आगत लागत बढ़ी हैं तथा पाटनरोधी शुल्क से तैयार बेल्टों की लागत लगभग 5.4% से लेकर 10% से अधिक तक बढ़ सकती है। नए निवेश के कारण उन्हें अपनी फैब्रिक आवश्यकता में भी महत्वपूर्ण वृद्धि की अपेक्षा है और उन्होंने वास्तविक विनिर्देश-वार आपूर्ति तथा एसआरएफ के बिक्री योग्य उत्पादन का सत्यापन माँगा है। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि फैब्रिक की अधिक लागत से तैयार बेल्टों के आयात बढ़ सकते हैं और घरेलू मूल्य संवर्धन, रोजगार, निवेश एवं निर्यात प्रभावित हो सकते हैं। बॉस्टन ने कहा है कि व्यापारियों के माध्यम से खरीद करने वाले छोटे खरीदारों पर प्रभावी भार अधिक पड़ सकता है। अतः उन्होंने समुचित रूप से निर्धारित उपाय का अनुरोध किया है, ताकि आयात व्यावहारिक पूरक आपूर्ति स्रोत बने रहें।

अनुरोधित राहत

157. विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोधित उत्पाद अपवर्जनों, जहाँ लागू हो वहाँ व्यक्तिगत जाँच, पात्र निर्यातकों के लिए सहयोगी गैर-नमूना दर तथा सामान्य मूल्य और एनआईपी की पद्धतियों पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है। उनका मुख्य अनुरोध वास्तविक क्षति और कारणात्मक संबंध के अभाव में जाँच समाप्त करने का है; वैकल्पिक रूप से उन्होंने ऐसा समुचित उपाय माँगा है जिससे डाउनस्ट्रीम उद्योग पर अनुपातहीन भार न पड़े।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई टिप्पणियाँ

उत्पाद दायरा और अनुरोधित अपवर्जन

158. घरेलू उद्योग ने प्रकटन में बताए गए उत्पाद दायरे की पुष्टि करने का अनुरोध किया है। उसके अनुसार चालान और पैकिंग सूचियाँ 225 सेमी से अधिक चौड़ाई, 1,000 मीटर से अधिक लंबाई, 350 रेटिंग के 520 मीटर रोल तथा 2 एमटी से अधिक वजन वाले रोलों की आपूर्ति दर्शाती हैं। अतः वह केवल आयात की कम मात्रा के आधार पर 125 सेमी से अधिक चौड़ाई और ईईई, ईईएच, ईएचएच, ईईएस, एनएन तथा एनईएस पीसीएन के अपवर्जन का विरोध करता है।
159. डबल डिपिंग के संबंध में घरेलू उद्योग ने कहा है कि उसके पास सिंगल और डबल डिपिंग, दोनों की सुविधाएँ हैं तथा उसने डबल-डिपिंग फैब्रिक की आपूर्ति दर्शाने वाले ग्राहक आदेश प्रस्तुत किए हैं। उसका यह भी कहना है कि ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार वह ट्विस्टेड तथा अनट्विस्टेड, दोनों प्रकार की संरचना की आपूर्ति कर सकता है।

क्षति और उपचारात्मक उपाय की आवश्यकता

160. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि पाटन और क्षति मार्जिन सकारात्मक तथा महत्वपूर्ण हैं, संबद्ध आयात की मात्रा पर्याप्त बनी हुई है और जाँच अवधि में कीमत में कटौती 30-40% की सीमा में है। उसके अनुसार उत्पादन और बिक्री में वृद्धि कीमतें घटाकर और लाभप्रदता का त्याग करके प्राप्त की गई, जबकि पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता बनी रही।
161. उसने जाँच अवधि में लाभ, पीबीआईटी, नकद लाभ और आरओसीई में तीव्र गिरावट पर भी भरोसा किया है। उसके अनुसार कच्चे माल की अधिक कीमतों के बावजूद उतराई कीमतें घटीं, जिससे आयात कीमतों और घरेलू लागतों के बीच अंतर बढ़ा तथा कीमतों में गिरावट का प्रभाव उत्पन्न हुआ। उसने यह भी कहा है कि कुछ चीनी उत्पादकों ने भारत के लिए अपनी निर्यात कीमतें घरेलू कीमतों की अपेक्षा अधिक तेजी से घटाईं।

एमएसएमई उत्पादक, गुणवत्ता, उपलब्धता और लागत का आगे हस्तांतरण

162. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि भारतीय उत्पादकों में एमएसएमई भी शामिल हैं और उसने ग्रेबटेक द्वारा उत्पादन निलंबित किए जाने तथा सनरिया द्वारा क्षमता अन्यत्र लगाए जाने का उल्लेख किया है। अतः उसने डाउनस्ट्रीम एमएसएमई प्रयोक्ताओं के साथ घरेलू एमएसएमई उत्पादकों के हितों पर भी विचार करने का अनुरोध किया है।
163. घरेलू उद्योग ने अपर्याप्त घरेलू गुणवत्ता अथवा उपलब्धता के दावों का विरोध करते हुए बार-बार की गई खरीद, संस्थागत एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विनिर्देशों में स्वीकृति, व्यापक ग्राहक आधार और उपलब्ध अप्रयुक्त क्षमता पर भरोसा किया है। उसके अनुसार अलग-थलग शिकायतें सामान्य गुणवत्ता संबंधी समस्या स्थापित नहीं करतीं और घरेलू आपूर्ति में लगने वाला समय आयात की तुलना में कम है।
164. घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि वर्तमान अनुबंधों के अंतर्गत फैब्रिक महँगा होने पर भी कन्वेयर बेल्ट निर्माता तुरंत अपनी कीमतें नहीं बढ़ा सकते। तथापि, उसके अनुसार वे नए आदेशों के लिए कीमत उद्धृत करते समय बढ़ी हुई फैब्रिक लागत शामिल कर सकते हैं। उसने यह भी कहा है कि अतिरिक्त लागत धीरे-धीरे ग्राहकों को आगे हस्तांतरित की जा सकती है, जिससे कन्वेयर बेल्ट निर्माताओं का भार कम होगा।

लोकहित, शुल्क की अवधि और स्वरूप

165. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि समग्र रूप से माँग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है और शुल्क के भुगतान पर आयात जारी रहेंगे। उसका तर्क है कि उपाय एकाधिकार बनाने के बजाय निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बहाल करेगा। उसने यह भी कहा है कि व्यक्तिगत प्रयोक्ताओं द्वारा पूर्ण

सत्यापित आँकड़े दाखिल न किए जाने के कारण एमएसएमई प्रयोक्ताओं के साक्ष्य वास्तविक लाभप्रदता, खपत अथवा लागत के आगे हस्तांतरण को स्थापित नहीं करते।

166. घरेलू उद्योग ने पांच वर्षों की अवधि के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क का अनुरोध किया है। उसने शुल्क के ऐसे स्वरूप का भी अनुरोध किया है जो आयात कीमतों और पीसीएन में व्यापक भिन्नताओं का समाधान करने और बीजक कीमतों में परिवर्तन के माध्यम से क्षतिकारक पाटन को रोकने में सक्षम हो।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

उत्पाद दायरा, डिपिंग/ट्विस्टिंग प्रक्रिया और ईईएन

167. प्राधिकारी ने उत्पाद अपवर्जन के अनुरोधों की पुनः जाँच की है। जिन दावों में यह कहा गया था कि घरेलू उद्योग ने कुछ उत्पादों का उत्पादन या बिक्री नहीं की, उनके लिए केवल जाँच अवधि से संबंधित साक्ष्यों पर विचार किया गया है। बाद की अवधि के साक्ष्य घरेलू उद्योग की निर्माण क्षमता दिखा सकते हैं, लेकिन वे जाँच अवधि में उस उत्पाद की वास्तविक बिक्री सिद्ध नहीं करते। पूर्व निर्णय बदलने के लिए कोई नया साक्ष्य नहीं मिला है। 125 सेमी से अधिक चौड़ाई और ईईई, ईईएच, ईएचएच, ईईएस, एनएन तथा एनईएस पीसीएन के अपवर्जन के अनुरोध भी अस्वीकार किए जाते हैं। किसी उत्पाद को केवल इसलिए बाहर नहीं रखा जा सकता कि उसकी आयात मात्रा कम है। पीसीएन का उपयोग केवल निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

168. प्राधिकारी ने डबल-डिप्ड, अनट्विस्टेड और ईईएन फैब्रिक के अपवर्जन के अनुरोधों की भी जाँच की है। घरेलू उद्योग ने दर्शाया है कि वह डबल-डिप्ड और अनट्विस्टेड फैब्रिक बना सकता है। यह प्रदर्शित करने वाला कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विनिर्माण प्रक्रिया में अंतर अपवर्जन अथवा अलग तुलना को उचित ठहराते हैं। इन अंतरों से उत्पाद की मूल प्रकृति या उपयोग भी नहीं बदलता। इसी प्रकार ईईएन के अलग उत्पाद होने अथवा उसका उपयोग अलग होने का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। तदनुसार ये अपवर्जन अनुरोध अस्वीकार किए जाते हैं।

गुणवत्ता और तकनीकी उपयुक्तता

169. प्राधिकारी ने नीलकंठ और एआईआरआईए द्वारा उठाई गई गुणवत्ता संबंधी चिंताओं पर विचार किया है। तथापि, ये कुछ विशिष्ट प्रयोक्ताओं से संबंधित प्रतीत होती हैं, क्योंकि अभिलेख में घरेलू बेल्टिंग फैब्रिक की बार-बार खरीद और व्यापक उपयोग भी दर्शाया गया है।

170. बेल्टिंग फैब्रिक अनुकूलित उत्पाद होने के कारण उसकी उपयुक्तता प्रयोक्ता की मशीनरी, प्रक्रिया और अनुप्रयोग के अनुसार भिन्न हो सकती है। इससे घरेलू उत्पाद में सामान्य गुणवत्ता संबंधी समस्या स्थापित नहीं होती। उपयुक्त सामग्री का आयात भी जारी रह सकता है। अतः विचाराधीन उत्पाद के दायरे में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

नमूना चयन और सहयोगी गैर-नमूना उत्पादक/निर्यातक

171. ओरिएंटल और वूहू के व्यक्तिगत जाँच संबंधी अनुरोधों पर पुनर्विचार किया गया है। तथापि, इस चरण में उनकी अलग जाँच के लिए अतिरिक्त सत्यापन और उत्पादक-विशिष्ट पाटन एवं क्षति मार्जिन की गणना आवश्यक होगी, जिससे जाँच पूरी होने में विलंब हो सकता है। अतः उनके अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाते। यह निर्णय सहयोग में किसी कमी के आधार पर नहीं है।

172. ओरिएंटल, वूहू, झेजियांग यूनिफुल और जियांगसू जियाहेंग को सहयोगी गैर-नमूना उत्पादक/निर्यातक माना जाता है; शिनबाओयुआन पर जियाहेंग के साथ विचार किया जाता है। तदनुसार उनके पात्र निर्यातों पर अवशिष्ट दर लागू नहीं होगी। झेजियांग यूनिफुल हाई-टेक इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड का नाम सही करने का अनुरोध भी अंतिम निष्कर्षों में स्वीकार किया गया है।

चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

173. चीन जनवादी गणराज्य से संबंधित प्रकटन-पश्चात प्रस्तुतियों में सामान्य मूल्य निर्धारण की पद्धति बदलने के लिए कोई नई सामग्री नहीं है। अनुच्छेद 15(क)(ii) की अवधि समाप्त होने पर विचार किया गया है, किंतु उत्तर देने वाले उत्पादकों ने अनुबंध-1 के पैरा 8 के अनुसार अपेक्षित तरीके से बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियाँ स्थापित नहीं कीं।

174. उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की विश्वसनीय पीसीएन-वार कीमत अथवा निर्मित मूल्य संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई। अतः प्रकटन में बताई गई सामान्य मूल्य निर्धारण पद्धति यथावत रखी जाती है।

मात्रा संबंधी क्षति, कीमत संबंधी प्रभाव और एनएसआर/एनआईपी

175. प्राधिकारी नोट करता है कि उत्पादन, घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सेदारी, रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता में सुधार हुआ, जबकि मालसूची घटी। तथापि, इसका अर्थ यह नहीं है कि घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई। यद्यपि जाँच अवधि में आयात 9,889 एमटी से घटकर 8,206 एमटी रह गए, वे आधार वर्ष के स्तर से अधिक थे और भारतीय माँग का लगभग 40% थे।

₹1,63,762/एमटी की कीमत केवल ईई-ग्रेड फैब्रिक से संबंधित है, जबकि ₹1,73,589/एमटी समग्र विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमत है। समग्र आयात कीमत घरेलू बिक्री कीमत से काफी कम रही, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 30-40% कीमत कटौती हुई।

176. घरेलू उद्योग की बिक्री बढ़ने के बावजूद जाँच अवधि में उसका लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिफल तेजी से घटा। यह दर्शाता है कि अधिक बिक्री कम कीमत वाले आयातों से होने वाली क्षति को नहीं रोक सकी। घरेलू बिक्री कीमत (एनएसआर) के क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) से अधिक होने का दावा विरोधी पक्षकारों ने किया था; यह प्राधिकारी का निष्कर्ष नहीं था। प्रत्येक पीसीएन के लिए एनआईपी और आयात कीमत की तुलना करके क्षति मार्जिन की गणना की गई है। वर्तमान पीसीएन पहले से ही निष्पक्ष तुलना की सुविधा देते हैं। अतः प्रत्येक उत्पाद प्रकार की अलग तुलना करने का एआईआरआईए का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

क्षमता विस्तार, अन्य कारक और कारणात्मक संबंध

177. प्राधिकारी ने यह जाँच की है कि घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में गिरावट क्षमता विस्तार, अधिक मूल्यहास और वित्त लागत, कम माँग, उत्पाद/ग्राहक मिश्रण में परिवर्तन, साझा सुविधाओं अथवा कीमत निर्धारण के निर्णयों के कारण हुई थी या नहीं। ये कारक क्षति की पूरी व्याख्या नहीं करते, क्योंकि नकद लाभ और पीबीआईटी में भी तीव्र गिरावट हुई। सत्यापित विचाराधीन उत्पाद लागत का एकसमान उपयोग किया गया है और कोई परिमाणित साक्ष्य यह नहीं दर्शाता कि इन अन्य कारकों से गिरावट की इस सीमा तक स्थिति उत्पन्न हुई।
178. एआईआरआईए का यह कथन सही है कि 2023-24 में आयात सर्वाधिक होने पर लाभप्रदता में सुधार हुआ था। तथापि, केवल एक वर्ष से कारणात्मक संबंध का निर्धारण नहीं किया जा सकता। जाँच अवधि में आयात कीमतें और घटीं, घरेलू लागत बढ़ी, बिक्री कीमतें घटीं तथा लाभप्रदता और आरओसीई में तीव्र गिरावट हुई। इसलिए प्राधिकारी का यह निष्कर्ष यथावत है कि पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट और वित्तीय प्रदर्शन में हास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

पूर्व जाँच और वार्षिक रिपोर्टें

179. 2018 की जाँच को तथ्यात्मक संदर्भ के रूप में देखा गया है। तथापि, संबंधित क्षति अवधि, आयात कीमतें, लाभप्रदता, क्षमता और बाजार परिस्थितियाँ भिन्न थीं। अतः उससे वर्तमान जाँच का परिणाम निर्धारित नहीं होता।
180. इसी प्रकार पूर्व वार्षिक रिपोर्टों में दर्शाया गया बेहतर प्रदर्शन वर्तमान जाँच अवधि में क्षति के अभाव को स्थापित नहीं करता। वर्तमान निष्कर्ष मौजूदा क्षति अवधि के सत्यापित विचाराधीन उत्पाद-विशिष्ट आँकड़ों पर आधारित हैं।

क्षतिरहित कीमत और 22% आरओसीई

181. प्रकटन के बाद की प्रस्तुतियों में ऐसा मामला-विशिष्ट साक्ष्य नहीं दिया गया है जो एनआईपी के लिए प्रयुक्त कर-पूर्व 22% प्रतिफल से विचलन को उचित ठहराए। अनुबंध-III में उचित प्रतिफल अपेक्षित है और प्राधिकारी ने निरंतर 22% लागू किया है।
182. सामान्य लागतों और क्षमता उपयोग के मानकों की भी सत्यापित अभिलेखों तथा युक्तिसंगत आवंटन सिद्धांतों के आधार पर जाँच की गई है। प्रकटन के बाद की कोई सत्यापित सामग्री यह स्थापित नहीं करती कि सामान्य लागतों के अनुचित आवंटन से एनआईपी बढ़ा-चढ़ाकर निर्धारित हुई है।

एआईआरआईए के साक्ष्य, एमएसएमई और लोकहित

183. प्राधिकारी ने एआईआरआईए द्वारा प्रस्तुत सभी अनुरोधों, जिनमें उसकी लिखित टिप्पणियाँ और सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी शामिल है, पर विचार किया है। सुनवाई में सभी सदस्यों के न बोल पाने का अर्थ यह नहीं है कि उनके विचारों की उपेक्षा की गई। तथापि, असत्यापित जानकारी को सत्यापित आँकड़ों के समान नहीं माना जा सकता। उपलब्ध जानकारी पर उसकी विश्वसनीयता के आधार पर विचार किया गया है। केवल व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा पूर्ण प्रश्नावली उत्तर न देने के कारण कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला गया है।
184. प्राधिकारी ने घरेलू आपूर्ति, उत्पाद की गुणवत्ता, कीमतों, भुगतान की शर्तों और लघु विनिर्माताओं के समक्ष आने वाली कठिनाइयों के संबंध में एआईआरआईए की चिंताओं की जांच की है। साक्ष्य से बेल्टिंग फैब्रिक की सामान्य कमी दर्शाई नहीं गई है। कीमतें विनिर्देशन, ऑर्डर के आकार, भुगतान की शर्तों और सुपुर्दगी की परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं, और शुल्क के भुगतान पर आयात उपलब्ध बने रहते हैं। निम्नतर शुल्क संबंधी गणना से

बेल्ट के प्रति कि.ग्रा. लगभग ₹5.43 की प्रत्यक्ष अतिरिक्त लागत दर्शाई गई है, जिसे भावी ऑर्डरों और निविदाओं में ध्यान में रखा जा सकता है। सत्यापित साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि इस उपाय का अनुप्रवाह उद्योग पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा।

जाँच अवधि के बाद के घटनाक्रम और डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं की चिंताएँ

185. प्राधिकारी ने लघु लॉट में खरीद, ऋण शर्तों, जांच की अवधि के पश्चात की कीमतों, नियोजित विस्तार और आयातित तैयार बेल्टों से प्रतिस्पर्धा के संबंध में बोस्टन रबर्स, स्टार पॉलिमर्स, डायनेमिक रबर्स और एआरबी के प्रकटन-पश्चात अनुरोधों पर विचार किया है। जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़े मुख्यतः कंपनियों के अनुमान हैं और ये जांच की अवधि के सत्यापित आंकड़ों का स्थान नहीं ले सकते हैं। तथापि, प्रयोक्ता हित संबंधी मूल्यांकन में इन पर विचार किया गया है। उच्चतर स्तर का शुल्क निदर्शन संपूर्ण उद्योग पर सामान्य प्रभाव का अनुमान नहीं है, और ऐसा कोई सत्यापित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्थापित हो कि अनुशंसित शुल्क से अनुप्रवाह उद्योग अव्यवहार्य हो जाएगा।
186. किसी घरेलू स्टॉकिस्ट के माध्यम से खरीद करने पर स्वतः अवशिष्ट शुल्क दर लागू नहीं होती है; लागू दर आयात के समय उत्पादक/निर्यातक की श्रेणी पर निर्भर करती है। आयातित तैयार बेल्टों की ओर संभावित झुकाव पर भी विचार किया गया है, किंतु रिकॉर्ड से यह स्थापित नहीं होता है कि अनुशंसित शुल्क से ऐसा झुकाव उत्पन्न होगा अथवा अनुप्रवाह उद्योग को हानि पहुंचेगी। विनिर्माता भावी कीमतों में अतिरिक्त फैब्रिक लागत को प्रतिबिंबित कर सकते हैं, और यह उपाय कमतर शुल्क सिद्धांत के अंतर्गत उत्पादक/निर्यातक-विशिष्ट शुल्क दरों को बनाए रखता है।

उपाय की अवधि और स्वरूप

187. पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध स्थापित हो जाने के कारण प्राधिकारी अंतिम उपाय आवश्यक मानता है। प्रत्येक उत्पादक/निर्यातक श्रेणी के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में जो कम है, उसके आधार पर अमेरिकी डॉलर प्रति एमटी में निश्चित शुल्क उपयुक्त माना जाता है। यह उपाय पाँच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि कानून के अनुसार इसे पहले वापस न लिया जाए, प्रतिस्थापित न किया जाए अथवा संशोधित न किया जाए।

ठ निष्कर्ष

188. उठाए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई जानकारी, की गई प्रस्तुतियों और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों तथा ऊपर दर्ज विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी निम्नानुसार निष्कर्ष निकालता है:

- i. विचाराधीन उत्पाद किसी भी संयोजन में 80% या उससे अधिक पॉलिएस्टर अथवा नायलॉन से निर्मित बेल्टिंग फैब्रिक है। यह इन अंतिम निष्कर्षों में पहले से निर्धारित अपवर्जनों के अधीन है, जिनमें चेफर फैब्रिक, ग्रे/अनडिप्ड फैब्रिक, नायलॉन 6,6 तथा अधिसूचित अपवर्जित ताना-बाना संरचनाएँ शामिल हैं।
- ii. एसआरएफ लिमिटेड नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग का गठन करता है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत पात्रता की शर्तें पूरी करता है।
- iii. चीन जनवादी गणराज्य से निर्यातित संबद्ध वस्तुएँ भारत में पाटित कीमतों पर आई हैं। नमूने में चुने गए उत्पादकों/निर्यातकों, सहयोगी गैर-नमूना श्रेणी और अवशिष्ट श्रेणी के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक तथा महत्वपूर्ण हैं।
- iv. क्षति अवधि में संबद्ध आयात बढ़े और जाँच अवधि में भारतीय माँग के लगभग 40% बने रहे। इन आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में महत्वपूर्ण कटौती हुई और उनकी उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रही।
- v. घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्री और बाजार हिस्सेदारी में सुधार हुआ; तथापि, उसकी बिक्री कीमतों पर गिरावट का दबाव पड़ा तथा जाँच अवधि में लाभ, पीबीआईटी, नकद लाभ और आरओसीई में तीव्र गिरावट आई। अतः स्थापित क्षति मुख्यतः बिक्री की मात्रा में गिरावट के बजाय कीमत और वित्तीय प्रदर्शन संबंधी क्षति है।
- vi. माँग में मामूली गिरावट, क्षमता विस्तार, मूल्यहास और वित्त लागत, उत्पाद/ग्राहक मिश्रण, निर्यात प्रदर्शन तथा अन्य उत्पादों के प्रदर्शन सहित अन्य ज्ञात कारकों की जाँच की गई है। ये पाटित आयातों से संबंधित महत्वपूर्ण गिरावट की व्याख्या नहीं करते।
- vii. प्रकटन के पश्चात गुणवत्ता, आपूर्ति के संकेंद्रण और एमएसएमई प्रयोक्ताओं पर प्रभाव के संबंध में उठाई गई चिंताओं की जांच की गई है। निम्नतर अनुशंसित शुल्क पर, निदर्शित प्रत्यक्ष अतिरिक्त लागत बेल्ट के प्रति कि.ग्रा. लगभग ₹5.43 है, और विनिर्माता भावी निविदाओं और ऑर्डरों में उस लागत को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। उच्चतर स्तर का निदर्शन संपूर्ण उद्योग पर किसी स्थापित औसत भार को प्रदर्शित

नहीं करता है। आयात उपलब्ध बने हुए हैं, और साक्ष्य से यह स्थापित नहीं होता है कि अनुशंसित उपाय का अनुप्रवाह उद्योग पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा अथवा यह जनहित के प्रतिकूल होगा।

- viii. तदनुसार प्राधिकारी निष्कर्ष निकालता है कि चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना उचित है।

ड सिफारिशें

189. प्राधिकारी नोट करता है कि जाँच की शुरुआत की गई और सभी हितबद्ध पक्षकारों को इसकी सूचना दी गई। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और संघों को पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध तथा उपाय के संभावित आर्थिक प्रभाव के संबंध में जानकारी और प्रस्तुतियाँ देने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया।
190. पाटन, वास्तविक क्षति और कारणात्मक संबंध स्थापित होने तथा लोकहित संबंधी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर अंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश आवश्यक मानता है। अल्पतर शुल्क सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के लिए अनुशंसित राशि जाँच में निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम राशि है।
191. तदनुसार प्राधिकारी नीचे दी गई शुल्क तालिका में वर्णित आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पाँच (5) वर्ष के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है, जब तक कि इसे पहले वापस न लिया जाए, प्रतिस्थापित न किया जाए अथवा संशोधित न किया जाए।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूल देश	निर्यात देश	उत्पादक / निर्यात चैनल	राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5906 99 90	किसी भी संयोजन में 80% अथवा अधिक पॉलिएस्टर या नायलॉन से निर्मित बेल्टिंग फैब्रिक, चेफर फैब्रिक को छोड़कर*	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	शूयी हुआचेंग इंडस्ट्रियल क्लॉथ कंपनी लिमिटेड, जब वूशी पॉलीमिको मटीरियल्स कंपनी लिमिटेड और/अथवा किंगदाओ चेनलानशिन बिजनेस एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के माध्यम से निर्यात किया गया हो	678	एमटी	अमेरिकी डॉलर
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	किंगझोउ शेंगबो न्यू प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड	731	एमटी	अमेरिकी डॉलर
3	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	जियांगसू ताइजी इंडस्ट्री न्यू मटीरियल्स कंपनी लिमिटेड	374	एमटी	अमेरिकी डॉलर

4	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	वूहू एस.एच.जेड. इंडस्ट्रियल फैब्रिक कंपनी लिमिटेड	630	एमटी	अमेरिकी डॉलर
5	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	ओरिएंटल इंडस्ट्रीज (सूझोउ) लिमिटेड	630	एमटी	अमेरिकी डॉलर
6	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	झेजियांग यूनिफुल हाई-टेक इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	630	एमटी	अमेरिकी डॉलर
7	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	जियांगसू जियाहेंग फाइबर कंपनी लिमिटेड	630	एमटी	अमेरिकी डॉलर
8	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	क्रम संख्या 1 से 7 में उल्लिखित उत्पादकों के अलावा कोई अन्य उत्पादक	1,620	एमटी	अमेरिकी डॉलर

9	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. के अलावा कोई अन्य देश	चीन जन. गण.	कोई भी उत्पादक	1,620	एमटी	अमेरिकी डॉलर
---	-------	-------	---	----------------	----------------	-------	------	-----------------

*उत्पाद के दायरे से ग्रे/अनडिप्ड फैब्रिक, नायलॉन 6,6 फाइबर तथा नीचे विनिर्दिष्ट 19 ताना-बाना संरचनाओं को अपवर्जित किया गया है:

क्र. सं.	ताना 1	ताना 2	बाना	बेल्टिंग कोड
	सूत का प्रकार	सूत का प्रकार	सूत का प्रकार	
1.	एम-अरामिड	--	एम-अरामिड	एए
2.	पॉलीकॉटन	--	पॉलीकॉटन	बीपीबीपी
3.	पी-अरामिड	--	पी-अरामिड	डीडी
4.	पॉलिएस्टर	पॉलिएस्टर	पॉलिएस्टर मोनोफिलामेंट	ईईएम
5.	पॉलिएस्टर	पॉलिएस्टर	नायलॉन 6,6	ईईपी
6.	पॉलिएस्टर	--	पॉलिएस्टर मोनोफिलामेंट	ईएम
7.	पॉलिएस्टर	--	नायलॉन 6	ईएन
8.	पॉलिएस्टर	--	नायलॉन 6,6	ईपी
9.	पॉलिएस्टर	नायलॉन 6,6	नायलॉन 6,6	ईपीपी
10.	स्पन पॉलिएस्टर	--	पॉलिएस्टर मोनोफिलामेंट	ईएसएम
11.	नायलॉन 6,6	--	नायलॉन 6,6	पीपी
12.	नायलॉन 6,6	--	पॉलिएस्टर	पीई
13.	नायलॉन 6,6	--	पॉलिएस्टर मोनोफिलामेंट	पीएम
14.	नायलॉन 6	--	कॉटन	एनबी

15.	पॉली-प्रोपिलीन	--	पॉलीप्रोपिलीन मोनोफिलामेंट	आरएम
16.	पॉली-प्रोपिलीन	--	पॉलीप्रोपिलीन	आरआर
17.	पॉलिएस्टर	--	स्टील कॉर्ड	एसबी
18.	नायलॉन 6	--	नायलॉन 6	एससी-चेफर
19.	पॉलिएस्टर	--	कॉटन	ईबी-एसडब्ल्यू

टिप्पणी - ऊपर उल्लिखित कंपनियों के लिए निर्धारित व्यक्तिगत शुल्क दरें तभी लागू होंगी जब सीमा शुल्क प्राधिकारियों को वैध वाणिज्यिक चालान प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर चालान जारी करने वाली इकाई के नाम और पद से पहचाने जाने वाले अधिकारी द्वारा दिनांकित तथा हस्ताक्षरित निम्नलिखित घोषणा दर्ज होगी:

“मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस चालान में शामिल भारत को निर्यात हेतु बेचे गए (संबद्ध उत्पाद) की (मात्रा) का विनिर्माण (देश का नाम) में (उत्पादक का नाम और पता) द्वारा किया गया था। मैं घोषित करता/करती हूँ कि इस चालान में दी गई जानकारी पूर्ण और सही है।” यदि ऐसा चालान प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क लगेगा। यह शर्त लागू सीमा शुल्क कानूनों और विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती।

ढ आगे की प्रक्रिया

192. इन अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण के विरुद्ध सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली के संबंधित प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील की जा सकती है।

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 25-09-2026
16:37:35

अमिताभ कुमार

निर्दिष्ट प्राधिकारी